◎所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本 国政府とインド共和国政府との間の条約

(略称)インドとの租税(所得)条約

平成		平成	平成	平成	平成	平成
元年十二月二十九日		元年十二月 四日	元年十一月二十九日	元年十一月二十八日	元年十一月 十日	元年 三月 七日
効力発生	(条約第八号及び外務省告示第六○一号)	公布及び告示	東京で批准書交換	批准の閣議決定	国会承認	ニュー・デリーで署名

目 インドとの租税 Ŧī. 四 条 条 条 次 企業又は恒久的施設の利得… 不動産に係る所得……………… 定義..... (所得) 条約 八六三 八七五 八七〇 八六七 八六八 八六七 八七四 八七一 ページ

前

末

止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防

日本国政府及びインド共和国政府は、

するための新たな条約を締結することを希望して、 所得に対する租税に関し、二重課税を回避し及び脱税を防止

次のとおり協定した。

する。 この条約は、一方又は双方の締約国の居住者である者に適用

人的範囲

第二条

1 この条約の対象である租税は、 次のものとする。

る租税 され

- (a) 日本国においては
- (ii) (i) 所得税

法人税

(以下「日本国の租税」という。)

(b) インドにおいては

インドとの租税(所得) 条約

CONVENTION

AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME BETWEEN THE GOVERNMENT OF JAPAN

of the Republic of India, The Government of Japan and the Government

prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the avoidance of double taxation and the Desiring to conclude a new Convention for

Have agreed as follows:

Article 1

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article

- Convention are: The taxes which are the subject of this
- (a) In Japan:
- (i) the income tax; and
- (ii) the corporation tax

(hereinafter referred to as "Japanese

In India:

<u>g</u>

所得税(加重税を含む。)

インドとの租税

(所得)条約

(以下「インドの租税」という。)

な期間内に、相互に通知する。 その改正後の妥当の税法について行われた実質的な改正を、その改正後の妥当も、適用する。両締約国の権限のある当局は、それぞれの国租税と同一であるもの又は実質的に類似するものについてこの条約の署名の日の後に課される租税であって1に掲げる2 この条約は、1に掲げる租税に加えて又はこれに代わって2 この条約は、1に掲げる租税に加えて又はこれに代わって

第三条

ほか、1.この条約の適用上、文脈により別に解釈すべき場合を除く

- 有する水域をいう。 インドが国際法及びインドの国内法に基づき主権的権利を() 「インド」とは、インドの領域(領海を含む。) その他
- 「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈によ ||

(c)

the income-tax including any surcharge

hereinafter referred to as "Indian

2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, those referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws within a reasonable period of time after such changes.

Article 3

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- (a) the term "Japan", when used in a geographical sense, means all the territory of Japan, including its territorial sea, in which the laws relating to Japanese tax are in force, and all the area beyond its territorial sea, including the seabed and subsoil thereof, over which Japan has jurisdiction in accordance with international law and in which the laws relating to Japanese tax are in force;
 (b) the term "India" means the territory of India including the territorial sea and any other maritime zone in which India has
- (c) the terms "a Contracting State" and "the

sovereign rights according to the Indian law and in accordance with international

- 日本国又はインドをいう。
- (d) 租税をいう。 「租税」とは、 文脈により、 日本国の租税又はインドの
- (e) 「者」には、個人、法人及び法人以外の団体を含む。
- (f) 格を有する団体として取り扱われる団体をいう。 「法人」とは、法人格を有する団体又は租税に関し法人
- は、それぞれ一方の締約国の居住者が営む企業及び他方の 締約国の居住者が営む企業をいう。 「一方の締約国の企業」及び「他方の締約国の企業」と

(g)

(f e

- (h) 「国民」とは、次の者をいう。
- (i) るすべての団体 法人格を有しないが日本国の租税に関し日本国の法令に 基づいて設立され又は組織された法人として取り扱われ 令に基づいて設立され又は組織されたすべての法人及び 日本国の国籍を有するすべての個人並びに日本国の法 日本国については、
- (ii) インドについては、
- (a a) インドの国籍を有するすべての個人
- (b b) 位を与えられたすべての法人、組合及び団体 インドにおいて施行されている法令によってその地
- (i) 「国際運輸」とは、一方の締約国の企業が運用する船舶

インドとの租税

(所得)

- India, as the context requires; other Contracting State" mean Japan
- the term "tax" means Japanese tax or Indian tax, as the context requires;

(a)

- the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- the term "company" means any body corporate corporate for tax purposes; or any entity which is treated as a body
- the terms "enterprise of a Contracting on by a resident of the other Contracting Contracting State and an enterprise carried enterprise carried on by a resident of a Contracting State" State" and "enterprise of the other mean respectively ar
- (h) the term "nationals" means:
- (i) in respect of Japan:
- without juridical personality treated nationality of Japan and all juridical all individuals possessing the under the laws of Japan; juridical persons created or organized for the purposes of Japanese tax as laws of Japan and all organizations persons created or organized under the
- (ii) in respect of India:
- nationality of India; (aa) all individuals possessing the
- and associations deriving their status as such from the laws in force in India; (bb) all legal persons, partnerships
- (i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by

いう。 てのみ運用される船舶又は航空機による運送を除く。)を又は航空機による運送(他方の締約国内の地点の間におい

- (i) 「権限のある当局」とは、
- の代理者をいう。()日本国については、大蔵大臣又は権限を与えられたそ)
- 与えられたその代理者をいう。 コード インドについては、中央政府大蔵省歳入局又は権限を

締約国の法令における当該用語の意義を有するものとする。除くほか、この条約の適用を受ける租税に関する当該一方の定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合を2 一方の締約国によるこの条約の適用上、この条約において

第四冬

住約一 者国方 の 居締

う。
方の締約国において課税を受けるべきものとされる者をい方の締約国において課税を受けるべきものとされる者をいたる事務所の所在地その他これらに類する基準により当該一一方の締約国の法令の下において、住所、居所、本店又は主1 この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該1

る。の適用上その者が居住者であるとみなされる締約国を決定すの適用上その者が居住者である当局は、合意により、この条約ては、両締約国の権限のある当局は、合意により、この条約2~1の規定により双方の締約国の居住者に該当する者につい

an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; and

the term "competent authority" means:

<u>(</u>

- (i) in Japan, the Minister of Finance of his authorized representative;
- (ii) in India, the Central Government in the Ministry of Finance, Department of Revenue, or their authorized representative.
- 2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which this Convention applies.

Article 4

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of head or main office or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall determine by mutual agreement the Contracting State of which that person shall be deemed to be a resident for the purposes of this

第五条

- 1 場所をいう。 の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っている この条約の適用上、「恒久的施設」とは、 事業を行う一定
- 2 「恒久的施設」には、 特に、次のものを含む。
- 支店

事業の管理の場所

- を採取する場所 鉱山、 石油又は天然ガスの坑井、 採石場その他天然資源
- 保管のための施設を他の者に提供する者に係る倉庫
- 栽培場その他の場所 農業、林業、栽培又はこれらに関連した活動を行う農場、
- 店舗その他の販売所

3 を超える期間存続する場合に限り、「恒久的施設」とする。 建築工事現場又は建設、据付若しくは組立工事は、六箇月 月を超える期間使用する場合に限る。) 天然資源の探査のために使用する設備又は構築物(六箇

Convention.

Article 5

place of business through which the business of term "permanent establishment" means a fixed 1. For the purposes of this Convention, the

especially: The term "permanent establishment" includes an enterprise is wholly or partly carried on.

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- <u>0</u> an office;
- (a) a factory;
- (e) a workshop;

(f)

- a mine, an oil or gas well, a quarry other place of extraction of natural resources; or any
- a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;

(d

(g)

a store or other sales outlet; and

j.

E

- an installation or structure used for the exploration of natural resources, but only if so used for a period of more than six
- permanent establishment only if it lasts more A building site or construction, than six months. installation or assembly project constitutes a

インドとの租税

(所得)条約

- 久的施設」を通じて事業を行うものとされる。は、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有し、当該「恒は、当該一方の締約国内において監督活動を行う場合には、当該企業付若しくは組立工事に関連して、六箇月を超える期間、当該4 企業が一方の締約国内における建築工事現場又は建設、据4 企業が一方の締約国内における建築工事現場又は建設、据
- る。 ちっとこれの規定にかかわらず、企業が一方の締約国内にお の規定により規定によりである。 も有し、当該企業は、当該一方の締約国内に「恒久的施設」 期間、当該一方の締約国内において役務又は施設を提供する はる石油の探査、開発又は採取に関連して、六箇月を超える の規定にかかわらず、企業が一方の締約国内にお
- 次のことは、含まれないものとする。6.1から5までの規定にかかわらず、「恒久的施設」には、
- 施設を使用すること。()。企業に属する物品又は商品の保管又は展示のためにのみ)。
- にのみ保有すること。 企業に属する物品又は商品の在庫を保管又は展示のため
- のためにのみ保有すること。()企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工)
- すること。することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有は、企業のために物品若しくは商品を購入し又は情報を収集

- 4. An enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it carries on supervisory activities in that Contracting State for more than six months in connection with a building site or construction, installation or assembly project which is being undertaken in that Contracting State.
- 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4 an enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State and to carry on business through that permanent establishment if it provides services or facilities in that Contracting State for more than six months in connection with the exploration, exploitation or extraction of mineral oils in that Contracting State.
- 6. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

- すること。 行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有 企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を
- 7 久的施設」を有するものとされる。 活動を行う場合には、当該企業は、当該一方の締約国内に「恒 方の締約国の企業に代わって行動する者(8の規定が適用さ れる独立の地位を有する代理人を除く。)が次のいずれかの 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国内において他
- 限りでない。 所で行われたとしても、6の規定により当該一定の場所が ただし、その活動が6に掲げる活動(事業を行う一定の場 する権限を有し、かつ、この権限を反復して行使すること。 「恒久的施設」とされない活動)のみである場合は、この 当該一方の締約国内で、当該企業に代わって契約を締結
- 該企業に代わって物品又は商品を規則的に引き渡すこと。 は商品の在庫を反復して保有し、 aの権限は有しないが、当該一方の締約国内で、物品又 かつ、当該在庫により当
- (c) り支配され若しくは同一の共通の支配下に当該企業と共に 置かれている他の企業のため、反復して注文を取得するこ のため又は当該企業及び当該企業を支配し、当該企業によ 当該一方の締約国内で、専ら又は主として当該企業自体
- 8 の独立の地位を有する代理人を通じて一方の締約国内で事業 企業は、通常の方法でその業務を行う仲立人、問屋その他

インドとの租税

(所得)

- (e) the maintenance of a fixed place of on, for the enterprise, any other activity business solely for the purpose of carrying of a preparatory or auxiliary character.
- applies is acting in a Contracting State on of an independent status to whom paragraph 8 behalf of an enterprise of the other first-mentioned Contracting State, if deemed to have a permanent establishment in the Contracting State, that enterprise shall be 1 and 2, where a person - other than an agent Notwithstanding the provisions of paragraphs
- (a) he has and habitually exercises in that mentioned in paragraph 6 which, if exercised through a fixed place of Contracting State an authority to conclude business, would not make this fixed place unless his activities are limited contracts on behalf of the enterprise, of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph;
- 9 he has no such authority, but habitually Contracting State a stock of goods or delivers goods or merchandise on behalf of merchandise from which he regularly maintains in the first-mentioned the enterprise; or
- <u>0</u> he habitually secures orders in the controlling, controlled by, or subject to or for the enterprise and other enterprises or almost wholly for the enterprise itself first-mentioned Contracting State, wholly the same common control as that enterprise
- merely because it carries on business in that permanent establishment in a Contracting State 8. An enterprise shall not be deemed to have a

に「恒久的施設」を有するものとされない。 活動を行っているという理由のみでは、当該一方の締約国内

久的施設」とはされない。 実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の「恒実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の「恒を行う法人を支配し、又はこれらに支配されているという事的施設」を通じて行われるものであるかないかを問わない。) 者である法人若しくは他方の締約国内において事業(「恒久9 一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住9 一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住

第六冬

税を課することができる。から取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租1.一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産

係る所得に

及び航空機は、不動産とはみなさない。 1 不動産」の用語は、当該財産が存在する締約国の法令には、いかおける不動産の意義を有するものとする。不動産には、いかおける不動産の意義を有するものとする。不動産には、いかおける不動産の意義を有するものとする。不動産には、いかおける不動産」の用語は、当該財産が存在する締約国の法令に 2 「不動産」の用語は、当該財産が存在する締約国の法令に

Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their

of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of other.

rticle 6

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting immovable property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to

3

1の規定は、

不動産の直接使用、

賃貸その他のすべての形

式による使用から生ずる所得について適用する。

得についても、適用する。の人的役務を提供するために使用される不動産から生ずる所は、1及び3の規定は、企業の不動産から生ずる所得及び独立

第七条

2 3の規定に従うことを条件として、一方の締約国の企業がといれるものとする。

3 恒久的施設の利得を決定するに当たっては、経営費及び一

income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of

rticle 7

independent personal services.

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in that other Contracting State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment.

where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as

金に算入することを認められる。であるか他の場所において生じたものであるかを問わず、損は、当該恒久的施設が存在する締約国内において生じたもの般管理費を含む費用で当該恒久的施設のために生じたもの

- 条に定める原則に適合するようなものでなければならない。れる配分の方法は、当該配分の方法によって得た結果がこの約国が決定することを妨げるものではない。ただし、用いら得をその慣行とされている配分の方法によって当該一方の締慣行が一方の締約国にある場合には、租税を課されるべき利償の総額の当該企業の各構成部分への配分によって決定する4 2の規定は、恒久的施設に帰せられるべき利得を企業の利
- に帰せられることはない。ったことを理由としては、いかなる利得も、当該恒久的施設5 恒久的施設が企業のために物品又は商品の単なる購入を行
- い。を用いることにつき正当な理由がある場合は、この限りでなを用いることにつき正当な理由がある場合は、この限りでな得は、毎年同一の方法によって決定する。ただし、別の方法6.1から5までの規定の適用上、恒久的施設に帰せられる利
- よって影響されることはない。 に含まれる場合には、当該他の条の規定は、この条の規定に7 他の条で別個に取り扱われている種類の所得が企業の利得

第八冬

1 一方の締約国の企業が航空機を国際運輸に運用することに

deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

- 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 6. For the purposes of the provisions of the preceding paragraphs of this Article, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Profits from the operation of aircraft in

のみ租税を課することができる。よいって取得する利得に対しては、当該一方の締約国において

- み租税を課することができる。 って取得する利得に対しては、当該一方の締約国においての2 一方の締約国の企業が船舶を国際運輸に運用することによ
- り国の说去によれば果されることになる且免の頂のすることができる。ただし、その租税の額は、当該他方の締た2の利得に対しては、当該他方の締約国において租税を課税年度又は十「前年度」の期間他方の締約国内において生じ3 2の規定にかかわらず、この条約が適用される最初の十課
- a.最初の五課税年度又は五「前年度」に関しては、五十パー約国の税法によれば課されることとなる租税の額の
- パーセント()一残りの五課税年度又は五「前年度」に関しては、二十五()

を超えないものとする。

も、適用する。 共同体に参加していることによって取得する利得について 4.1から3までの規定は、共同計算、共同経営又は国際経営

る。と類似する税が課される場合にはそのような税にも、適用すと類似する税が課される場合にはそのような税にも、適用すいては事業税にも、インドにおいては日本国における事業税5.この条の規定は、第二条の規定にかかわらず、日本国にお

第九条

インドとの租税

(所得)

international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

 Profits from the operation of ships in international traffic carried on by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, such profits may be taxed in the other Contracting State from which they are derived during a period of first ten taxable years or "previous years", as the case may be, for which this Convention shall have effect provided that the tax so charged shall not exceed:

(a) during the first five years, 50 per cent,

(b) during the remaining five years, 25 per cent,

of the tax otherwise imposed by the taxation law of that other Contracting State.

4. The provisions of the preceding paragraphs of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, also apply to the enterprise tax in Japan and to any tax similar to the said enterprise tax if and when such a tax is imposed in India.

Article 9

- 若しくは資本に直接若しくは間接に参加している場合又は1a゚ 一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配
- いる場合 の経営、支配若しくは資本に直接若しくは間接に参加しての経営、支配若しくは資本に直接若しくは間接に参加して 同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業

の利得に算入して租税を課することができる。の利得に算入して租税を課することができる。方の企業のは、その条件がないとしたならば一方の企業の利得となったものに対しては、連立の企業の間に設けられる条件と異なる条件が設けられ又は課されているときの関係において、双方の企業の間に、独立の企業の間に設けであって、そのいずれの場合においても、商業上又は資金上であって、そのいずれの場合においても、商業上又は資金上

を行う。この調整に当たっては、この条約の他の規定に妥当該一方の締約国において課された租税の額につき適当な調整に算入して租税を課する場合において、両締約国の権限のある当局が、協議の上、その算入された利得の全部又は一部が、双方の企業の間に設けられた条件が独立の企業の間に設けられた。であるう条件であったとしたならば当該他方の締約国の権限のあた。当時、協議の上、その算入された利得の全部又は一部が、双方の企業の間に設けられた条件が独立の企業の間に設けられたであることに合意するときは、当該一方の締約国は、その合意された利得の全難の利得を能力の。この調整に当たっては、この条約の他の規定に妥当を消費して、一方の締約国の企業の利得を制力の企業の利得を指する。

な考慮を払う。

.. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

9

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

conditions made between the two enterprises had upon consultation, that all or part of the authorities of the Contracting States agree, State has been charged to tax in that other which an enterprise of the other Contracting State - and taxes accordingly - profits on profits of an enterprise of that Contracting therein on those agreed profits. Contracting State shall make an appropriate independent enterprises, then that other been those which would have been made between first-mentioned Contracting State if the have accrued to the enterprise of the profits so included are profits which would Contracting State and where the competent Where a Contracting State includes in the to the amount of the tax charged

第十条

課することができる。に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を1.一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者

を超えないものとする。当の受益者である場合には、当該配当の額の十五パーセント当の受益者である場合には、当該配当の領領者が当該配ことができる。その租税の額は、当該配当の受領者が当該配給約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課する2~1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる2~1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる

人に対する課税に影響を及ぼすものではない。 この2の規定は、配当に充てられる利得についての当該法

扱われるものをいう。者とされる締約国の税法上株式から生ずる所得と同様に取り者とされる締約国の税法上株式から生ずる所得と同様に取りその他の持分から生ずる所得であって分配を行う法人が居住受ける権利(信用に係る債権を除く。)から生ずる所得及び3.この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を3.この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を

にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合に業を行い又は当該他方の締約国において当該他方の締約国内国において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事益者が、当該配当を支払う法人が居住者とされる他方の締約4 1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である配当の受

インドとの租税

(所得)

determining such adjustment, due regard sha be had to the other provisions of this Convention.

rticle 10

 Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or

第十四条の規定を適用する。 ものであるときは、適用しない。この場合には、第七条又は 当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有する おいて、当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が

5

ことができない。 ることができず、また、当該留保所得に対して租税を課する のである場合の配当を除く。)に対していかなる租税も課す にある恒久的施設又は固定的施設と実質的な関連を有するも 支払の基因となった株式その他の持分が当該他方の締約国内 当(当該他方の締約国の居住者に支払われる配当及び配当の おいて生じた利得又は所得から成るときにおいても、当該配 の配当及び留保所得の全部又は一部が当該他方の締約国内に 人の支払う配当及び当該法人の留保所得については、 又は所得を取得する場合には、当該他方の締約国は、 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国から利得 これら

第十一条

1 課することができる。 払われる利子に対しては、 一方の締約国内において生じ、 当該他方の締約国において租税を 他方の締約国の居住者に支

2 租税の額は、 当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その 1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、 当該利子の受領者が当該利子の受益者である場

> shall apply. connected with such permanent establishment or which the dividends are paid is effectively situated therein, and the holding in respect of Article 7 or Article 14, as the case may be, fixed base. independent personal services from a fixed base performs in that other Contracting State In such case, the provisions of

arising in that other Contracting State. consist wholly or partly of profits or income dividends paid or the undistributed profits company's undistributed profits, even if the company's undistributed profits to a tax on the other Contracting State, nor subject the establishment or a fixed base situated in that holding in respect of which the dividends are as such dividends are paid to a resident of dividends paid by the company, except insofar Contracting State may not impose any tax on the paid is effectively connected with a permanent that other Contracting State or insofar as the from the other Contracting State, that other Contracting State derives profits or income 5. Where a company which is a resident of a

paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting Interest arising in a Contracting State and

State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall according to the laws of that Contracting the Contracting State in which it arises, and However, such interest may also be taxed

- ーセント 当該受益者が銀行である場合には、 当該利子の額の十
- (b) その他のすべての場合には、 当該利子の額の十五パーセ
- 3 方の締約国において租税を免除する。 該他方の締約国の居住者が取得するものについては、 証された債権又はこれらによる間接融資に係る債権に関し当 府若しくは地方公共団体、 は当該他方の締約国の政府の所有する金融機関が取得するも 政府若しくは地方公共団体、 子であって、 くは当該他方の締約国の政府の所有する金融機関によって保 の及び当該他方の締約国の政府、 2の規定にかかわらず、 他方の締約国の政府、 当該他方の締約国の中央銀行若し 一方の締約国内において生ずる利 当該他方の締約国の中央銀行又 当該他方の締約国の地方政 当該他方の締約国の地方 当該一
- 4 融機関」とは、次のものをいう。 3の規定の適用上、「中央銀行」及び「政府の所有する金
- (a) 日本国については、
- 日本銀行
- 日本輸出入銀行
- (iv) (iii) (ii) (i) 海外経済協力基金

国際協力事業団

(v) で両締約国の政府が随時合意するもの 日本国政府が資本の全部を所有するその他の金融機関

インドとの租税

(所得)

not exceed:

- (a) 10 per cent of the gross amount of the interest if the beneficial owner is a bank;
- 9 15 per cent of the gross amount interest in all other cases.
- other Contracting State, a political subany financial institution wholly owned by that Central Bank of that other Contracting State or division or a local authority thereof, the with respect to debt-claims guaranteed or by any resident of the other Contracting State a local authority thereof, the Central Bank of Contracting State, a political sub-division or derived by the Government of the other first-mentioned Contracting State. institution wholly owned by that Government, or that other Contracting State or any financial interest arising in a Contracting State and Government shall be exempt from tax in the indirectly financed by the Government of that Notwithstanding the provisions of paragraph
- 4. For the purposes of paragraph 3, the terms "the Central Bank" and "financial institution wholly owned by the Government" mean:
- (a) in the case of Japan:
- the Bank of Japan;
- (ii) the Export-Import Bank of Japan;
- (iii) the Overseas Economic Cooperation Fund;
- (iv) the Japan International Cooperation Agency; and
- such other financial institution the Government of Japan as may be agreed capital of which is wholly owned by the

- (b) インドについては、
- (ii) (i) インド準備銀行

インド輸出入銀行

- で両締約国の政府が随時合意するもの インド政府が資本の全部を所有するその他の金融機関
- 5 を含む。) をいう。 社債から生じた所得(公債、債券又は社債の割増金及び賞金 有無を問わない。)から生じた所得、特に、公債、債券又は る債権(担保の有無及び債務者の利得の分配を受ける権利の この条において、「利子」とは、すべての種類の信用に係
- 6 この場合には、 施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。 の支払の基因となった債権が当該恒久的施設又は当該固定的 を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当該利子 他方の締約国において当該他方の締約国内にある固定的施設 方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又は当該 の受益者が、当該利子の生じた他方の締約国において当該他 1から3までの規定は、 第七条又は第十四条の規定を適用する。 一方の締約国の居住者である利子
- 7 の地方政府、 利子は、 その支払者が一方の締約国又は当該一方の締約国 地方公共団体若しくは居住者である場合には、

- Governments of the two upon from time to time between the Contracting
- (b) in the case of India:
- Reserve Bank of India
- (ii) Export-Import Bank of India;
- (iii) such other financial institution the upon from time to time between the Government of India as may be agreed capital of which is wholly owned by the Governments of the two Contracting
- debentures. prizes attaching to such securities, bonds or bonds or debentures, including premiums and from Government securities and income from debtor's profits, and in particular, income or not carrying a right to participate in the whether or not secured by mortgage and whether means income from debt-claims of every kind, 5. The term "interest" as used in this Article
- effectively connected with such permanent case may be, shall apply. provisions of Article 7 or Article 14, as the establishment or fixed base. In such case, State independent personal services from a State, carries on business in the other shall not apply if the beneficial owner of the 6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 in respect of which the interest is paid is fixed base situated therein, and the debt-claim therein, or performs in that other Contracting through a permanent establishment situated Contracting State in which the interest arises, interest, being a resident of a Contracting
- Contracting Interest shall be deemed to arise in a State when the payer is that

当該一方の締約国内において生じたものとされる。 は、当該利子は、当該恒久的施設又は固定的施設の存在する において、当該利子の支払の基因となった債務が当該恒久的 利子の支払者(締約国の居住者であるかないかを問わない。) 久的施設又は固定的施設によって負担されるものであるとき 施設又は固定的施設について生じ、かつ、当該利子が当該恒 当該一方の締約国内において生じたものとされる。 一方の締約国内に恒久的施設又は固定的施設を有する場合

8 過分に対し、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上、 ときは、この条の規定は、その合意したとみられる額につい たならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超える 各締約国の法令に従って租税を課することができる。 てのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち当該超 の間の特別の関係により、利子の額が、その関係がないとし いて、利子の支払者と受益者との間又はその双方と第三者と 利子の支払の基因となった債権について考慮した場合にお

2 1 れらが生じた締約国においても、 当該他方の締約国において租税を課することができる。 払われる使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、 1の使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、こ 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支 当該締約国の法令に従って

インドとの租税

(所得)

which the permanent establishment or fixed base deemed to arise in the Contracting State in with which the indebtedness on which the establishment or a fixed base in connection or not, has in a Contracting State a permanent division or Contracting State itself, a political subment or fixed base, then such interest shall be interest is borne by such permanent estabslishinterest is paid was incurred, and such whether he is a resident of a Contracting State however, the person paying the interest, resident of that Contracting State. Where, is situated. a local authority thereof or a

Article shall apply only to the last-mentioned of such relationship, the provisions of this payer and the beneficial owner in the absence amount which would have been agreed upon by the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount of the interest, having regard to the between both of them and some other person, the between the payer and the beneficial owner or 8. Where, by reason of a special relationship being had to the other provisions of this laws of each Contracting State, due regard payments shall remain taxable according to amount. In such case, the excess part of the

technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and resident of the other Contracting State may be arising in a Contracting State and paid to a However, such royalties and fees for taxed in that other Contracting State. Royalties and fees for technical services

ないものとする。 又は技術上の役務に対する料金の額の二十パーセントを超え上の役務に対する料金の受益者である場合には、当該使用料は技術上の役務に対する料金の受益者が当該使用料又は技術租税を課することができる。その租税の額は、当該使用料又

- 報の対価として受領するすべての種類の支払金をいう。して、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情して、又は産業上、商業上若しくは使用の権利の対価と上若しくは学術上の設備の使用若しくは使用の権利の対価として、産業上、商業上程の使用若しくは使用の権利の対価として、産業上、商業にジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、ビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、ビジョン放送用のフィルム及びラジオ放送用又はテレは学術上の著作物(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレる、この条において、「使用料」とは、文学上、美術上若しく3 この条において、「使用料」とは、文学上、美術上若しく3
- に対する支払金を除く。)をいう。

 4 この条において、「技術上の役務の対価としての個人会及び第十四条に定める独立の人的役務の対価としての個人くは技術的性質の役務又はコンサルタントの役務の対価とし術者その他の人員によって提供される役務を含む経営的若しまの条において、「技術上の役務に対する料金」とは、技業の対する対象」とは、技業の対する対象が、
- 的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当は当該他方の締約国において当該他方の締約国内にある固定は当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行い又当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行いては技術上の役務に対する料金の受益者が、当該使用料若しくる 1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である使用料又

according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

- 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
- 4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments and to any individual for independent personal services referred to in Article 14, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provisions of services of technical or other personnel.
- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a personanent situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated

の場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。 と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。こ た権利、財産又は契約が当該恒久的施設又は当該固定的施設 該使用料又は技術上の役務に対する料金の支払の基因となっ

6 きは、 久的施設又は固定的施設の存在する当該一方の締約国内にお いて生じたものとされる。 金を支払う債務が当該恒久的施設又は固定的施設について生 する場合において、 ない。)が一方の締約国内に恒久的施設又は固定的施設を有 対する料金の支払者(締約国の居住者であるかないかを問わ て生じたものとされる。ただし、使用料又は技術上の役務に 若しくは居住者である場合には、 方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府、 恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものであると 使用料及び技術上の役務に対する料金は、その支払者が かつ、当該使用料又は技術上の役務に対する料金が当該 当該使用料又は技術上の役務に対する料金は、当該恒 当該使用料又は技術上の役務に対する料 当該一方の締約国内におい 地方公共団体

料若しくは技術上の役務に対する料金の支払者と受益者との てのみ適用する。 たならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超える 又は技術上の役務に対する料金の額が、その関係がないとし 間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、 た使用、権利又は情報について考慮した場合において、使用 使用料又は技術上の役務に対する料金の支払の基因となっ この条の規定は、その合意したとみられる額につい この場合には、 支払われた額のうち当該超 使用料

7

shall apply. Article 7 or Article 14, as the case may be, fixed base. connected with such permanent establishment or technical services are paid is effectively therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for In such case, the provisions of

establishment or fixed base, then such authority thereof or a resident of that which the permanent establishment or fixed base be deemed to arise in the Contracting State in royalties or fees for technical services shall technical services are borne by such permanent was incurred, and such royalties or fees for State a permanent establishment or a fixed base Contracting State or not, has in a Contracting services, whether he is a resident of a paying the royalties or fees for technical Contracting State. Where, however, the person when the payer is that Contracting State shall be deemed to arise in a Contracting State is situated. the royalties or fees for technical services in connection with which the liability to pay itself, a political sub-division, a local Royalties and fees for technical services

services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds excess part of the payments shall remain absence of such relationship, the provisions of amount of the royalties or fees for technical between the payer and the beneficial owner or last-mentioned amount. this Article shall apply only to the the payer and the beneficial owner in the between both of them and some other person, the Where, by reason of special relationship the amount which would have been agreed upon by In such case, the

インドとの租税

(所得)

各締約国の法令に従って租税を課することができる。過分に対し、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上、

第十三条

- 2.一百つ命勺回のと巻が起豆)の可可可に可して見る可能でては、当該他方の締約国において租税を課することができる。締約国内に存在するものの譲渡によって取得する収益に対し1.一方の締約国の居住者が第六条に規定する不動産で他方の
- 当該他方の締約国において租税を課することができる。 該固定的施設の譲渡から生ずる収益を含む。)に対しては、該固定的施設の譲渡から生ずる収益を含む。)に対しては、方の締約国内において使用することのできる固定的施設に係方の締約国の居住者が独立の人的役務を提供するため他は一方の締約国の居住者が独立の人的役務を提供するため他な一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設
- を課することができる。 て取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税に者が他方の締約国の居住者である法人の株式の譲渡によっ3~2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居
- 除く。)の譲渡によって取得する収益に対しては、当該一方機及びこれらの船舶又は航空機の運用に係る財産(不動産を4.一方の締約国の居住者が国際運輸に運用する船舶又は航空

taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of any property,

State from the alienation of immovable property

Gains derived by a resident of a Contracting

- 2. Gains from the alienation of any property, other than immovable property, forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of any property, other than immovable property, pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other Contracting State.
- 3. Unless the provisions of paragraph 2 are applicable, gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.
- 4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic and any property, other than immovable property, pertaining to the operation of such ships or

の締約国においてのみ租税を課することができる。

5 締約国においてのみ租税を課することができる。)財産の譲渡によって取得する収益に対しては、 一方の締約国の居住者が1から4までに規定する財産以外 当該一方の

第十四条

1 ことができる。 又は前記の期間を通じ当該他方の締約国内において取得した る場合又は前記の期間当該他方の締約国内に滞在する場合に 課することができる。 部分についてのみ、 内に滞在しない限り、 年度」を通じ合計百八十三日を超える期間当該他方の締約国 活動を行うため通常使用することのできる固定的施設を他方 の締約国内に有せず、 する活動について取得する所得に対しては、 当該所得に対しては、 方の締約国の居住者が自由職業その他の独立の性格を有 当該他方の締約国において租税を課する その者がそのような固定的施設を有す かつ、その者が当該課税年度又は「前 当該一方の締約国においてのみ租税を 当該固定的施設に帰せられる部分 その者が自己の

2 科医師及び公認会計士の独立の活動を含む。 育上の独立の活動並びに医師、 「自由職業」には、 特に、学術上、文学上、 弁護士、技術士、 美術上及び教 建築士、 歯

第十五条

インドとの租税

(所得)

Contracting State. aircraft shall be taxable only in that

shall be taxable only in that Contracting State State from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1 to 4, Gains derived by a resident of a Contracting

Article

State during the aforesaid period or periods aforesaid period or periods, the income may be may be. If he has such a fixed base or remains Contracting State for the purpose of performing character shall be taxable only in that services or other activities of an independent Contracting State in respect of professional base or is derived in that other Contracting so much of it as is attributable to that fixed taxed in that other Contracting State but only in that other Contracting State for the taxable year or "previous year", as the case exceeding in the aggregate 183 days during any Contracting State for a period or periods his activities or he is present in that other regularly available to him in the other Contracting State unless he has a fixed base Income derived by a resident of a

artistic, educational or teaching activities especially independent scientific, literary, physicians, surgeons, lawyers, engineers well as the independent activities of The term "professional services" includes architects, dentists and accountants. as

Article

- とができる。 とができる。 とができる。 とができる。 とができる。 とができる。 一方の締約国内において行われる場合には、当該勤務が他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の勤務が他方の締約国の居住者がその勤務についてし、工業を除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務についてしたができる。
-) とこれでは、ことができる。 対国においてのみ租税を課することができる。 次のほからにまでに掲げることを条件として、当該一方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、2 1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締
- ること。 計百八十三日を超えない期間当該他方の締約国内に滞在す(3) 報酬の受領者が当該課税年度又は「前年度」を通じて合
- に代わる者から支払われるものであること。
 田が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれ
- 又は固定的施設によって負担されるものでないこと。()、報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設

3

1及び2の規定にかかわらず、

一方の締約国の企業が国際

ことができる。

る報酬に対しては、

運輸に運用する船舶又は航空機内において行われる勤務に係

当該一方の締約国において租税を課する

- 18. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if:
- (a) the recipient is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days during any taxable year or "previous year", as the case may be; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of that other Contracting State; and
- the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in that other Contracting State.

<u>0</u>

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

第十六条

役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対 しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。 一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の

第十七条

1 は、 居住者である個人により行われる場合には、当該所得につい 締約国内で行う個人的活動によって取得する所得に対して の居住者である個人が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジ ては、当該他方の締約国において租税を免除する。 た文化交流のための特別の計画に基づき当該一方の締約国の ンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動家として他方の もっとも、そのような活動が両締約国の政府間で合意され 第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、一方の締約国 当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 動に関する所得が当該芸能人又は運動家以外の他方の締約国 方の締約国において租税を課することができる。 第七条、第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、 の居住者である者に帰属する場合には、当該所得に対しては、 一方の締約国内で行う芸能人又は運動家としての個人的活

そのような活動が両締約国の政府間で合意され

インドとの租税

(所得)

Article 16

directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in his capacity as a member of the board of derived by a resident of a Contracting State in that other Contracting State. Directors' fees and other similar payments

Article 17

such exercised in the other Contracting State, radio or television artiste, and a musician, or entertainer such as a theatre, motion picture, may be taxed in that other Contracting State. as an athlete, from his personal activities as 14 and 15, income derived by an individual who Notwithstanding the provisions of Articles is a resident of a Contracting State as an Such income shall, however, be exempt from

States. Contracting State pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon who is a resident of the first-mentioned activities are exercised by an individual tax in that other Contracting State if such between the Governments of the two Contracting

may, notwithstanding the provisions of Articles of the other Contracting State, that income such accrues not to the entertainer or athlete an entertainer or an athlete in his capacity as activities exercised in a Contracting State by Contracting State. 7, 14 and 15, be taxed in the first-mentioned himself but to another person who is a resident Where income in respect of personal

Such income shall, however, be exempt from

インドとの租税 (所得)

第十八条

することができる。するることができる。当なる、当なでは、当該一方の締約国においてのみ租税を課き一方の締約国の居住者に支払われる退職年金その他これに類次条2の規定が適用される場合を除くほか、過去の勤務につ

第十九条

- 1a 政府の職務の遂行として一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって支払われる約国の地方政府若しくは地方公共団体によって支払われる約国の地方政府若しくは地方公共団体に対し提供される役割の地方政府若しくは地方公共団体に対し提供される役割の地方政府が
- (i) 当該他方の締約国の国民 方の締約国においてのみ租税を課することができる。 方の締約国においてのみ租税を課することができる。 国の居住者である場合には、その報酬に対しては、当該他かつ、国の個人が次の()又は(i)に該当する当該他方の締約 い)もっとも、当該役務が他方の締約国内において提供され、
- ※ 専ら当該役務を提供するため当該他方の締約国の居住

八九〇 Hax in the first-mentioned Contracting State if such activities are exercised pursuant to a special programme for cultural exchange agreed

rticle 18

upon between the Governments of the two

Contracting States

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that Contracting State.

Article 19

- 1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, to an individual in respect of services rendered to that Contracting State, or a political sub-division or a local authority thereof, in the discharge of functions of a governmental nature, shall be taxable only in that Contracting State.
- (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Contracting State and the individual is a resident of that other Contracting State who:

 (i) is a national of that other Contracting
- (1) is a national of that other Contracting State; or (ii) did not become a resident of that other

者となった者でないもの

- 2 a きる。 共団体が拠出した基金から支払われる退職年金に対して 約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公 当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若 しくは地方公共団体によって支払われ、又は当該一方の締 地方公共団体に対し提供される役務につき、 当該一方の締約国においてのみ租税を課することがで 方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは 個人に対し、
- (b) つ、 ることができる。 金に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課す もっとも、②の個人が他方の締約国の居住者であり、 当該他方の締約国の国民である場合には、 その退職年
- 3 の規定を適用する。 われる報酬及び退職年金については、第十五条から前条まで 方公共団体の行う事業に関連して提供される役務につき支払 方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地

第二十条

当該一方の締約国の租税を免除する。ただし、 もの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったもの 生又は事業修習者であって、現に他方の締約国の居住者である 専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学 教育又は訓練のために受け取る給付については、 当該給付が当該

インドとの租税

(所得)

of performing the services. Contracting State solely for the purpose

2

- (a) Any pension paid by, or out of funds sub-division or a local authority Contracting State, or a political State, or a political sub-division or a services rendered to that Contracting taxable only in that Contracting State. local authority thereof, shall be thereof, to an individual in respect of which contributions are made by, a
- **a** However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if national of, that other Contracting the individual is a resident of, and a
- or a political sub-division or a local a business carried on by a Contracting State, respect of services rendered in connection with shall apply to remuneration and pensions in authority thereof. 3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18

Article 20

receives for the purpose of his maintenance, for the purpose of his education or training the first-mentioned Contracting State solely other Contracting State and who is present in visiting a Contracting State a resident of the apprentice who is or was immediately before Payments which a student or business

一方の締約国外から支払われるものである場合に限る。

第二十一条

員等の 所 教授、教

当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。あったものに対しては、その教育又は研究に係る報酬につき、居住者であるもの又は訪れる直前に他方の締約国の居住者で時的に滞在する教授又は教員であって、現に他方の締約国の研究を行うため一方の締約国を訪れ、二年を超えない期間一1 大学、学校その他の公認された教育機関において教育又は

ついては、適用しない。定の者の私的な利益のために行われる研究から生ずる所得に2.この条の規定は、公的な利益のためではなく、主として特

第二十二条

てのみ租税を課することができる。 各条に規定がないものに対しては、当該一方の締約国におい1.一方の締約国の居住者の所得(源泉地を問わない。)で前

所得の他の

通じて事業を行い又は当該他方の締約国において当該他方の方の締約国において当該他方の締約国内にある恒久的施設をに規定する不動産から生ずる所得を除く。)の受領者が、他2 1の規定は、一方の締約国の居住者である所得(第六条2

education or training shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State, provided that such payments are made to him from outside that first-mentioned Contracting

Article 21

1. A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other accredited educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other contracting State shall be taxable only in that other Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

Article 22

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting

この場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。するものであるときは、当該所得については、適用しない。産が当該恒久的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有る場合において、当該所得の支払の基因となった権利又は財締約国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供す

租税を課することができる。 条に規定のないものに対しては、当該他方の締約国において得のうち、他方の締約国内において生ずるものであって前各3 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者の所

第二十三条

る。 該締約国において、引き続き所得の課税を規律するものとす 約において反対の規定が特に設けられている場合を除き、当1.いずれかの締約国において施行されている法令は、この条

る。
2 インドにおいては、二重課税は、次の方法により回避され

る当該所得に対応する部分を超えないものとする。また、所得に対する租税の額のうち日本国において租税を課されだし、控除の額は、(当該控除が行われる前に算定された)を国において直接に又は源泉徴収により納付される租税の本国において直接に又は源泉徴収により納付される租税のインドの居住者がこの条約の規定に従って日本国においる当該所得に対応する場合には、インドは、日の当該所得を取得する場合には、インドは、日の当該所得を取得する場合には、インドの居住者がこの条約の規定に従って日本国においる当該所得に対応する部分を超えないものとする。また、

State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may be

Article 23

taxed in that other Contracting State.

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting State except where express provisions to the contrary are made in this Convention.

Double taxation shall be avoided in the case of India as follows:

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Japan, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the Japanese tax paid in Japan, whether directly or by deduction. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction is given) which is

て当該法人に課される超過利潤税の額から控除する。税の額から控除し、なお残額があるときは、インドにおい税の額は、まず、インドにおいて当該法人に課される所得ある場合には、日本国において納付される所得に対する租当該居住者がインドにおいて超過利潤税を課される法人で

- 得する当該所得に対応する部分を控除する。る。ただし、所得に対する租税の額から日本国において取当該所得をインドの租税の課税標準に含めることができてのみ租税を課される所得を取得する場合には、インドは、1
- ら控除することに関する日本国の法令に従い、3 日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税か
- 得に対応する部分を超えないものとする。 ただし、控除の額は、日本国の租税の額のうち当該所該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除すは、当該所得について納付されるインドの租税の額は、当日本国の居住者がこの条約の規定に従ってインドにおい
- ある法人に対して支払われる配当である場合には、日本国少なくとも二十五パーセントを所有する日本国の居住者でる法人によりその議決権のある株式又はその発行済株式の(b) インドにおいて取得される所得が、インドの居住者であ

- attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Japan. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction in respect of income tax paid in Japan shall be allowed in the first instance from income-tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India.
- (b) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in Japan, India may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is attributable, as the case may be, to the income derived from Japan regarding the Subject to the laws of Japan regarding the
- 3. Subject to the laws of Japan regarding the allowance as a credit against Japanese tax of tax payable in any country other than Japan:
- (a) Where a resident of Japan derives income from India which may be taxed in India in accordance with the provisions of this Convention, the amount of Indian tax payable in respect of that income shall be allowed as a credit against the Japanese tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of the Japanese tax which is appropriate to that income.
- (b) Where the income derived from India is a dividend paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of Japan and which owns not less than 25 per cent either of the voting shares of the company paying the dividend, or of the total shares issued

入れるものとする。によりその所得について納付されるインドの租税を考慮にの租税からの控除を行うに当たり、当該配当を支払う法人

第二十四条

適用する。 適用する。 第一条の規定にかかわらず、締約国の居住者でない者にも、 税若しくはこれに関連する要件又はより重い租税若しくはこ 税若しくはこれに関連する要件以外の租 されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の租 されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の租 といある当該他方の締約国の国民に課されており若しくは課 1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において、同様の状

by that company, the credit shall take into account the Indian tax payable by the company paying the dividend in respect of its income.

<u>0</u>

For the purposes of the credit referred of the scope of the benefit accorded to date of signature of this Convention or to in sub-paragraphs (a) and (b) above, there shall be deemed to have been paid between the two Governments in respect provided that an agreement is made addition to the existing measures, Indian tax laws in modification of or in which may be introduced in future in the development in India, effective on the measures designed to promote economic accordance with the special incentive not been reduced or relieved in this Convention if the Indian tax had laws of India and in accordance with have been paid as Indian tax under the by the taxpayer the amount which would the taxpayer by the said measures.

Article 24

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment

2

一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設

利に課されることはない。行う当該他方の締約国の企業に対して課される租税よりも不行う当該他方の締約国の企業に対して課される租税は、当該他方の締約国において、同様の活動を

認めることを義務付けるものと解してはならない。租税上の人的控除、救済及び軽減を他方の締約国の居住者に族を扶養するための負担を理由として自国の居住者に認めるこの2の規定は、一方の締約国に対し、家族の状況又は家

除するものとする。 は者に支払われたとした場合における条件と同様の条件で控 業の課税対象利得の決定に当たって、当該一方の締約国の居 業の課税対象利得の決定に当たって、当該一方の締約国の居住者 のました。一方の締約国の企業が他方の締約国の居住者 のを除くほか、一方の締約国の企業が他方の締約国の居住者

4 一方の締約国の企業であってその資本の全部又は一部が他4 一方の締約国の企業であってその資本の全部又は一部が他4 一方の締約国の企業であってその資本の全部区は一部が他4 一方の締約国の企業であってその資本の全部又は一部が他4 一方の締約国の企業であってその資本の全部又は一部が他

5 この条において、「租税」とは、この条約の対象である租

税をいう。

which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Contracting State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

- 1 ない。 当該措置の最初の通知の日から三年以内に、 る。当該申立ては、この条約の規定に適合しない課税に係る 締約国の権限のある当局に対して、申立てをすることができ ある締約国の権限のある当局に対して又は当該事案が前条1 の締約国の法令に定める救済手段とは別に、自己が居住者で める者は、当該事案について、当該いずれか一方の又は双方 規定に適合しない課税を受けたと又は受けることになると認 の規定の適用に関するものである場合には自己が国民である いずれか一方の又は双方の締約国の措置によりこの条約の しなければなら
- 2 限にもかかわらず、実施されなければならない。 立したすべての合意は、 る当局との合意によって当該事案を解決するよう努める。 に適合しない課税を回避するため、他方の締約国の権限のあ べき解決を与えることができない場合には、この条約の規定 権限のある当局は、 1の申立てを正当と認めるが、 両締約国の法令上のいかなる期間 満足す 成
- 3 関して生ずる困難又は疑義を合意によって解決するよう努め ことができる。 ない場合における二重課税を除去するため、 両締約国の権限のある当局は、この条約の解釈又は適用に 両締約国の権限のある当局は、また、この条約に定めの 相互に協議する
- 4 両締約国の権限のある当局は、2及び3の合意に達するた

インドとの租税

(所得)

- competent authority of the Contracting State of will result for him in taxation not in one or both of the Contracting States result resulting in taxation not in accordance with from the first notification of the action The case must be presented within three years Contracting State of which he is a national. under paragraph 1 of Article 24, to that of the which he is a resident or, if his case comes Contracting States, present his case to the remedies provided by the domestic laws of those Convention, he may, irrespective of the accordance with the provisions of this Where a person considers that the actions of the provisions of this Convention.
- notwithstanding any time limits in the domestic agreement reached shall be implemented with the provisions of this Convention. the avoidance of taxation not in accordance of the other Contracting State, with a view to mutual agreement with the competent authority satisfactory solution, to resolve the case by if it is not itself able to arrive at a the objection appears to it to be justified and The competent authority shall endeavour, if laws of the Contracting States.
- provided for in this Convention Convention. They may also consult together for to the interpretation or application of this agreement any difficulties or doubts arising States shall endeavour to resolve by mutual The competent authorities of the Contracting the elimination of double taxation in cases not
- States may communicate with each other directly 4. The competent authorities of the Contracting

め、直接相互に通信することができる。

第二十六条

- のことを行う義務を課するものと解してはならない。2.1の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、次
- 慣行に抵触する行政上の措置をとること。 (a) 当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の
- 報を提供すること。

 又は行政の通常の運営において入手することができない情じ、当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において
- 若しくは取引の過程を明らかにするような情報又は公開すの。営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密

for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs of this

מלותום סה

- determination of appeals in relation thereto. the taxes covered by this Convention or the the enforcement or prosecution in respect of, involved in the assessment or collection of, to persons or authorities, including courts, treated as secret and shall be disclosed only taxes. fiscal evasion or fraud with respect to such this Convention, or for the prevention of thereunder is not contrary to the provisions of this Convention insofar as the taxation Contracting States concerning taxes covered by this Convention or of the domestic laws of the necessary for carrying out the provisions of States shall exchange such information as is 1. The competent authorities of the Contracting Any information so exchanged shall be
- 2. In no case shall the provisions of paragraph l be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; or

g

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional

の 関特 権 と 官 又

第二十七条

ることが公の秩序に反することになる情報を提供するこ

のではない。 定に基づく外交官又は領事官の租税上の特権に影響を及ぼすも この条約のいかなる規定も、 国際法の一般原則又は特別の協

第二十八条

1 る限り速やかに東京で交換されるものとする。 この条約は、批准されなければならない。批准書は、 でき

2 生ずるものとし、次のものについて適用する。 この条約は、批准書の交換の日の後三十日目の日に効力を

(a) 日本国においては、

する各課税年度の所得 この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始

(b) インドにおいては、

する各「前年度」の所得 この条約が効力を生ずる年の翌年の四月一日以後に開始

3 千九百六十年一月五日にニュー・デリーで署名された所得

インドとの租税

(所得)

contrary to public policy. the disclosure of which would be secret or trade process, or information,

Article 27

special agreements. consular officers under the general rules of fiscal privileges of diplomatic agents or international law or under the provisions of Nothing in this Convention shall affect the

Article 28

at Tokyo as soon as possible. 1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged

shall have effect: exchange of instruments of ratification and the thirtieth day after the date of the 2. This Convention shall enter into force on

(a) in Japan:

enters into force; and January of the calendar year next beginning on or after the first day of as regards income for any taxable year following that in which this Convention

g in India:

as regards income for any "previous year" beginning on or after the first day of April of the calendar year next following that in which this Convention enters into force.

The Agreement between Japan and India for

時用の 子 子 及 び 適 終 了

所得につき、終了し、 ドとの間の協定は、 に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とイン 2の規定に従ってこの条約が適用される かつ、適用されなくなる。

インドとの租税

(所得)

第二十九条

る。この場合には、この条約は、次のものについて効力を失う。 て他方の締約国に対し書面による終了の通告を行うことができ た後に開始する各年の六月三十日以前に、外交上の経路を通じ の締約国も、この条約の効力発生の日から五年の期間が満了し この条約は、 無期限に効力を有する。ただし、いずれの一方

(a) る各課税年度の所得 終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に開始す 日本国においては、

(b) る各「前年度」の所得 終了の通告が行われた年の翌年の四月一日以後に開始す インドにおいては、

けてこの条約に署名した。 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受

千九百八十九年三月七日にニュー・デリーで、ひとしく正文

Convention applies under the provisions of effect in respect of income to which this 5, 1960 shall terminate and cease to have Taxes on Income signed at New Delhi on Januar γ the Avoidance of Double Taxation in respect of paragraph 2.

Article

Convention shall cease to have effect: notice of termination and, in such event, this entry into force, give to the other Contracting State, through the diplomatic channel, written calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its on or before the thirtieth day of June of any indefinitely but either Contracting State may, This Convention shall continue in effect

(a) in Japan:

January of the calendar year next as regards income for any taxable year termination is given; and following that in which the notice of beginning on or after the first day of

9 in India:

day of April of the calendar year next as regards income for any "previous following that in which the notice of year" beginning on or after the first termination is given.

Governments, have signed this Convention. duly authorised thereto by their respective IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being

DONE at New Delhi in duplicate on this seventh day of March, 1989 in the

である日本語、ヒンディ語及び英語により本書二通を作成した。

Japanese, Hindi and English languages, all the three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretations, the

English text shall prevail.

日本国政府のために 野田英二郎

インド共和国政府のために G・N・グプタ

> of Japan: For the Government

of the Republic of India: For the Government

Eijiro Noda

G.N. Gupta

インドとの租税(所得)

के परिकार और राजस्व अपनेवन को आय पर करों के शलंब में दोहरे कराधान

जापान की सरकार

भारत गणसाज्य की

सरकार के बीव

ओ भरमाय

की इन्छा से, नीवे लिखे अनुसार सहमत हुई है : करा धान के परिष्ठार और राजस्त अपर्ववन को रोक्ने के लिए एक नया अभिसमय सम्पन्न करने सरकार, आय पर करते ते संबंध में दोहरे आपान की सरकार और भारत गणराज्य की

अनु चेद ।

निवासी 🕇 सीवदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों वे यह अभिक्समय उन ज्यक्तियों पर लागू होगा जो दोनों

बनु च्छेद :2

जी कर इस अभिसमय के निषय 🐮 , ते इस प्रकार 🐮 :-

읫 जापान में :

६ । बाय-कर ; और

§ 113 निगम कर

§ इन्हें इसके बाद "जापानी कर" कहा गया है§;

भारत में:

ब

भी शामिल है आयक्र, जिसमें उस पर लगाया गया कोई अधिभार

सुचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानुनों में किए गए हों। परिवर्तनी के पश्चात् एक समृचित अविष के भीतर, एक दूसरे को की तारीख के पश्चात् पैराग्रामः । में उल्लिखित करों के बीतीरक्त करों पर भी लागु होगा, जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में, ऐसे बयदा उनके स्थान पर लगाए जाएं।। सीवदाकारी राज्यों के यह अभिन्तमय किसी भी समस्य अथवा सारत: इसी तरह के §ि जैसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है§।

अनु च्छेद उ

पाठ में अन्यथा अपेक्षित न हो : इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए जब तक कि विषयमत

91 "जापान" शब्द से अभिष्ठेत है- जब एक भौगोलिक उद्देश य का राज्य क्षेत्र जिसमे यह भी शामिल हे-- राज्य क्षेत्रीय के लिए उपयोग किया जाता है तो इस्का अर्थ है जापान समुद्र जिस पर आपानी कर से संबंधित कानून लागू होता

- हे, राज्य क्षेत्रीय समुद्र से परे समस्त क्षेत्र जिसमें उसका समुद्रत्त तथा असमृदा भी शामिल हे, जिस पर जापान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्राधिकार रखता है तथा जिसमें जापानी कर से स्क्रियत कानून प्रवृक्त है;
- श्रुषश्च "भारत"शब्द से अभिग्रेत है-- भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है-- राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र भिक्षके बारे में भारत को भारतीय कानून के अनुलार तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार प्राप्त है;
- शुगक्ष "एक सीविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा सीविदाकारी राज्य" पदों से विक्यगत पाठकी अंभ्या के अनुसार जापान अध्वा भारत अभिग्रेत है;
- {धर्} "कर" शन्द से विषयणत पाठकी अपेक्षा के अनुसार जापानी कर अथवा भारतीय कर अभिक्षेत हैं:
- धुउः ध्रै "व्यवित" शब्द में डोई ठ्यफ्टि, कोई कम्पनी और व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है ;
- १व६ "कम्पनी" शब्द से कोई भी ऐसा निकािस निकाय अध्वा कोई सत्ता अभिग्रेत है जिसे कर-प्रयोजनों के निष्य एक निगमित निकाय के रुप में माना जाता है;
- १७६ "एक भीवदाकारी राज्य का उदम" और दूसरे भीवदाकारी राज्य का उदम" पदों से कुमझां: एक भीवदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संवारित कोई उदम और दूसरे मीवदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संवारित.

कोई उप्प का भीत है;

- ४ पर्ध "राहिद्व" शब्द से अभिशेत हैं:-
- । । । । । । । ।

सभी व्यक्ति जिन्हें आपान की राक्तिहंडता प्राप्त हे और सभी विविक्क व्यक्ति जिनका मुजन अध्वा संगठन जापान के कान्ननों के अन्तर्गत क्षुआ हो तथा ऐसे सभी जिना विविक्क व्यवितत्व वाले संगठन जिन्हें आपान के कान्ननों के अन्तर्गत आपानी कर के प्रयोजनाई स्थित अथ्वा संगठित किय गय विविक्ष व्यक्तियों हे स्था में माना गया हो।

क्षांके भारत के बारे में :

क्षेत्र कर्श ऐसे सभी व्यक्तिट जिन्हें भारत की राष्टिद्रकला प्राप्त हो ; bय खर्श ऐसे सभी विधिक व्यक्ति भागीवारिता तथा सी जिन्हें भारत में प्रवृत्त काचनों से इस तरह की हेसियस प्राप्त हो; क्षेत्र "जनतराष्ट्रीय यालायात"पद से अभिषेत है- किसी ऐसे

- "जनतराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिष्ठेत है- किसी ऐसे अथान अथवा वायुशन दारा कोई भी परिवहन जो एक सिवाकारी राज्य के किसी उपम द्वारा संवाधित हो, रिखाय उस रिथात के जब उस्त अअथान अथवा वायुथान केवल दूसरे सीवदाकारी राज्य के स्थानों के बीच हो वाजाया जाता हो ; और
- क्षत्रकुं "सक्ष्म प्राधिकारी" पद से आंभप्रेत है :
- हां} आग्यान में, विक्त मंत्री अथवा उसका प्राधिक्त प्रतिनिष्ठ ;
- 🚻 भारत में, विक्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में

केन्द्रीय सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनित्ति ।

2 जहाँ तक किसी सीवदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी झन्दावानी का जो उन्मे पारेणाचित नहीं हुई हो, जब तक विषयात पाठ में अन्याय अमेरित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस सीवदाकारी राज्य के करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जिन पर ये अभिसमय जारू

अनु च्छेद 4

ा इस अभिसमय के प्रयोजना थी, "किसी सीवदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिग्रेत है, कोई भी ऐसा न्यावित जिस पर, उस राज्य के बानून के अन्तर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी भी अन्य कसीटी के कारण वहां पर कर तथाया जा भवता है।

अंश पैराग्राफ । के उपलंशों के कारण कोई व्यक्तित दोनों झीविदाकारी राज्यों का निवासी हो,वक्ष सीवदाकारी राज्यों के स्थम ग्राधिकारी प्रस्पर सहमति से उस सीवदाकारी राज्य का निवारण क्रोगे फिस राज्य का वह व्यक्ति हस अभिसमय के प्रयोजनार्थ एक निवासी समक्षा जायगा ।

अनु हु।द 5

इस अभिस्त्रय के प्रयोजनाई "स्थायी संस्थापन" पर से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिष्ठेत है, अहा किसी उध्य का कारोबार सम्पर्णत: अथवा आहेत: वसाया जाता है।

- 'शादी संस्थापन' पद में दिशेषतथा निम्नितिष्ठत शामिल क्षेते :-
- कि । प्रबंध च्यवस्थाकाकोई स्थान :
- खं} कोई शाखाः ;
- श्रेग हैं कार्यालय;
- ¥ध¥ कोई कारखाना;
- §ड∙} कोई का*र्या*ना⊣ा ;
- श्वश्व कोई साम, तेल अथवा गेस या कोई कुआ, कोई खदान अथवा भाकृतिक स्साधना के निष्क्षिण का कोई अन्य रथान ;
- हे छ कोई भाषडागार जिसमें कोई उधितत दूसरों के लिए
- भण्डारण सिवधारे मुख्या करता हो ; १४४ कोई कार्म, अगीवा अध्या अन्य स्थान अहा पर कृषि,

वानिकी, पौधे उगाने अथवा उनसे संबोधित कार्यक्रशाप किए

- आरते ∉ो ; कोई भण्डार अथवा अन्य किक्की केन्द्र; तथा
- अर्थ कोई संस्थापना अथवा संरवना िल्स्का बस्तेमान प्राकृतिक संभाधनों की छोज के लिए किया जाता हो, किन्तु केवल उस रिश्वित में जब उसका बस्तेमान ७: मधीने की अविध ते अधिक समय तक किया गया हो।
- उन्हें भवन-रथन अथवा निर्माल, संस्थापना अथवा पसेन्ब्रती प्रोजेवट केवल इस रिथित में कोई स्थायी संस्थापन होगा यदि वह छ: महीने से अधिक समय तक विध्नान रहता है।
- 4. किसी उध्म का किसी सीवदाकारी राज्य में कोई स्थापी सैस्थापन का होना और उस स्थापी सैस्थापन के माध्यम ते

कार बेतार का बेताया जाना तभी समझा आप्या यदि वह उस शीवदाकारी राज्य में किसी निर्माणरथल अध्वा निर्माण, सेर्यापना अध्वा थेसे यसेम्बली प्रोजेवट के संबंध में छ: महीने की अविध से अधिक समय तक पर्यदेशी कार्यकाप बनाता हो जो उस सीवदाकारी राज्य के भीतर श्रद्ध किय जाते हो ।

- पेराग्राफ 3 तथा 4 के उपकेशों के होते हुए भी किसी उत्स का किसी सीवदाकारी राज्य में कोई स्थापी संस्थापन का होना और उस स्थापी संस्थापन के माहत्म से कारोबार का बनाया जाना तभी माना जाएगा पदि वह उस सीवदाकारी राज्य में उस सीवदा-कारी राज्य में उस सीवदा-कारी राज्य के अन्वर्गत प्रतिच तिने की खोज, उनके समुप्योजन अथवा निकाकका के बारों में छ: महीने को ज्विधि से आधक समय ने निप सैवार अथवा सीवधार्य प्रदान करता है।
- क्स अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपलेक्षों के होते हुए भी "स्थाधी संस्थापन" पद से निम्निलिवित का शामिल नहीं होना माना जाएगा :
- हुंक हुं उस उधम से संबेधित मात अथवा पण्य वस्तुबों के भण्डारण अथवा प्रवर्णन के प्रयोजनार्धमात्र सुविधाओं का करनेमाल करना
- धुष्धं मात्र भण्डारण अथवा प्रव्यत्ति के प्रयोजनार्ध उस उदम से संबंधित मात्र अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टाक का रख-रक्षाव करना;
- हुगा। मात्र किसी अन्य उक्ष्म द्वारा संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उस उक्ष्म से इस्तिकत माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टाक का ख-राग्रव करना;

- {धः{ उस उक्ष्म के निष्मात अध्वा पण्य वस्तुओं की मात्र सरीद करने अध्वा उसके बारे मे सुवना एकत्र करने ते लिए व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रक्षाव करना ;
- धुड∙धु उस उध्म के तिथ मात्र किसी प्रारिक्ष अथवा सहायक किस्स के किसी अन्य कार्य-क्शाप को बताने के प्रयोजनार्ध व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना।
- गेराग्राफ। तथा 2 के उपलंकों के होते हुए भी जहां पर कोई स्वसंत्र हैरिस्थत के किसी एजेंच्ट, जिस पर पैराग्राफ 8 लाग्न होता हो, से भिन्न कोई च्यतित दूसरे सीवदाकारी राज्य के किसी उद्म की तरफ से किसी सीवदाकारी राज्य में कार्य करता हो, उस उद्म का प्रमोरिअधित सीवदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का होना तथी माना जाखा;
- हुंक हुं यदि उसे उस उद्भा की तरफ से उस सीवेदाकारी राज्य से देकों को सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो तथा वह बादतन परे देके सम्पन्न करता हो, जब तक कि इसके कार्य-कार प्राप्त परे उन्हें कारोबार के किसी निश्चित स्थान पर सम्पन्न दिया गया हो, पैराग्राफ 6 में उत्तिविधित कार्य-कार्यों तक सीमित नहीं हो, जिसके द्वारा कारोबार का यह निश्चित स्थान उस पैराग्राफ के उपबंधों के तहत एक स्थापी संस्थापननहीं बनेगा;
- धुस्थुं उसके पास इस सरह का कोई प्राधिकार नहीं हो कि≂उ वह प्रथमोरि∻अधित सीबदाकारी राज्य में ऐसे मात बख्वा पण्य वस्तुओं का एक स्टाक बादतन रखता हो जिसमें से

वह नियमित रूप से इस उध्म की तरफ से मान अथवा पण्य वस्तुओं की डिजीवरी करता हो ; अथवा

हुंगहुं वह उस प्रथमोरिक्तीस्त सीवदाकारी राज्य में बादतन बादेश प्राप्त करता हो, पूर्णत: बध्वा लगभग पूर्णत: स्वाधं उस उक्षम के लिए बध्वा उक्षम के लिए और ऐसे उक्षमों के लिए जो निझ्केश रखते हो, निश्केश में रहते हो, बध्वा उस उक्षम की तरह उस जैसे निश्केश में रहते हो ।

8° किसी उद्धम का किसी सीवदाकारी राज्य में कोई रहायी सेरहापन का होना माइ इस कारण नहीं माना जाएगा कि वह किसी दलाक, सामान्यक्रमीशन एकेन्ट अथवा किसी स्वतंत्र हेसियत वाले किसी अन्य एकेट की मार्फत उस सीवदाकारी राज्य में क्यापार बलाता हो बहते कि थेने क्याचित अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में क्रार्च करते हो ।
9° इस तथ्य में कि कोई कम्पनी जो किसी सीवदाकारी राज्य की निवासी हो किसी ऐसी कम्पनी पर नियंत्रण रखती है अथवा उसके दारा नियंत्रित होती है जो दूसरे सीवदाकारी राज्य की निवासी हो अथवा जो दूसरे सीवदाकारी राज्य की निवासी हो अथवा जो दूसरे सीवदाकारी राज्य की निवासी हो अथवा के माध्यम से अथवा जन्यशाह कारोबार बनाती हो, दोनों में से किसी भी कम्पनी को दूसरी कम्पनी का स्थायी संस्थापन का दर्जी नहीं देता है।

भा केंद्र 6

पक सीवेदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे

-

क्षीवदाकारी राज्य में रिक्षत अवत सम्मतित से ग्राप्त आंग पर उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर आगाया जा सकेगा।

'n

"बबन सम्पत्ति" पद का अर्थ बही होगा औ उस संविदा-कारी राज्य के काजूनों के अन्तर्गत उसका अर्थ है जिसमें संबंधित सम्पत्ति रिथत है। इस पद में किसी भी दणा ने ये अगिमन होगे -- बवन सम्पत्ति के अद्यसाधन के त्य में सम्पत्ति, वृष्टि और वानिकी में प्रयुवत पश्चन और उपकर, ऐसे अधिकार जिन पर अवन सम्पत्ति संबंधी सामान्य काजून के उपकंध नागू होते हो, अवन सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और यनिज अध्वारों, होतों तथा अन्य प्राकृतिक झीसाधनों के संवानन के निष्, अय्वा कार्य के अधिकार के प्राय में परिवर्तनीय अय्वा नियत्त बदायगियों के अधिकार; जनयान तथा वायुयान बवन सम्पत्ति नहीं माने जायो।

पैराग्राफ । के उपबंध बचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराप पर देने अध्या किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली अाय पर भी लाग्न आरोगे।
पैराग्राफ । तथा उके उपबंध किसी उद्यम की बचल सम्मित्ति से प्राप्त आय पर तथा खतंत्र वैयवितक सेवाबों के

•

ų

अनुच्छेद 7

निक्पादन के लिए प्रयुक्त असल सम्पत्ति से प्राप्त अगय पर

भी नामु स्रोते ।

ां किसी सीवदाकारी राज्य के किसी उद्यम के नाभों पर केवल उसी सीवदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे सीवदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि वह उद्यम उपर्युवत तरीके से कारोबार कलाता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्धु उसके लाभों के केवल उत्ती अंग पर ही कर लगाया जा स्केगा जो प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: उस स्थायी संस्थापन के कारण हो ।

2. पेराग्राफ उके उपलेशों के अधीन रहते हुए लहा एक सीवदा-कारी राज्य का कोई उद्धम दूससे सीवदाकारी राज्य में रिश्त किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार बनाला हो, तो प्रत्येक सीवदाकारी राज्य में ऐसे नाभों को उस स्थायी संस्थापन का नाभ समझा जात्या जो उसे उस रिश्रीत में प्राप्त होने की अपेक्षा रहती जब वह एक-समान अथवा उससे मिनती-अुनती पीरिश्रातियों में एक-समान या उससे मिनते-अुनते कार्यक्रनायों में नगा हुआ कोई मिश्चित बीर भिन्न उद्धम होता और उस उद्धम के साथ पूर्णत्या स्वतंत्र रम के कारोबार करता जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

उन सबार को कटो तियों से स्थापन के नामों का निर्धाय करने में उन सबार को कटो तियों के रूप में उनुमति दी जाएगी जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ किए गए हों, जिनमें इस प्रकार के किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक सबे भी शामिन हों, साबे दे उस राज्य में किए गए हों जहां वह स्थायी संस्थापन रियत है अथवार उन्यक्त किए गए हों ।

अंदा किसी भी वदाकारी राज्य में यह प्रशा रही है कि

किसी स्थापी अस्थापन को होने वाले नाभों का निर्धारण उद्धम के कुल नाभों को उसके विभिन्न शामों में विभाजन के आधार पर किया जाता हो, वक्षां पैराग्राफ 2 की कोई भी खात उस सीवदाकारी राज्य को प्रथा अनुसार विभाजन के द्वारा कर योग्य लाभों का निर्धारण करने से निष्धारित नहीं करोगी ; तथापि, विभाजन के लिए अपनाई गई विधिध ऐसी होगी कि उसके परिषाम इस अनु-छेद में विधित सिदाननों के अनुकत होगी।

- उने हैं भी पेसा नाथ मात्र इस कारण से किसी रक्षाणी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना आध्या कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्धम के लिए मान अध्वा प्रयथ वस्तुए सरीदी गई है।
- हस अनुन्छेद के पूर्ववर्ती पेराग्रामों के उपलेकों के प्रयोजनाई स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले नाभों का तल तक वर्षानुवर्ष उसी पदीत से निर्धारण किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विषयीत उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।
- 7 जहां पर नाभों में बाय की ऐसी मदे शामित है जिनका इस बिभसमय के अन्य अनुस्केदों में अलग से विवेचन विधा गया है, वक्षा पर उन अनुस्केदों के उपलंख इस अनुस्केद के उपलंखों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनु च्छेद 8

- किली प्रीविदाकारी राज्य के किसी उद्धम द्वारा अन्तर-राष्ट्रीय यातायात में वायुयान के परिवालन से प्राप्त आभी पर उसी सीविदाकारी राज्य में कर लगाया जायगा।
- किसी सीवदाकारी राज्य के किसी उदम द्वारा

अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वाय्यानने के परिवालन से प्राप्त नाभो पर केवन उसी भीवदाकारी राज्य में कर लगेगा।

- पेराग्राफ 2 के उपलंधों के होते हुए भी, ऐसे लाभों पर उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर लोगा जहां से कराध्य प्रभा दस वर्षों की अविध के दौरान अध्वा "पूर्ववर्ती वर्षों" मे, जेला भी मामजा हो, प्राप्त हुए हो, जिल अविध के लिए यह अफिल्मय प्रभावी होगा ब्लारें कि इस प्रकार प्रभारित कर की सीमा निम्निसित से अधिक नहीं हो;
- कि प्रथम पर्णव वर्षों ने दौरान, 50 प्रतिक्रांत क्षेत्रं शोख पर्णव वर्षों ने दौरान, उस दूसरे संविदानारी राज्य ने कराधान कानून ने द्वारा अन्यधा नगाय गय कर की मान्त्रा का 25 प्रतिक्रांत।
- क्स उनुचेद के पूर्ववर्ती पैराग्राकों के उपलेश किसी पून, किसी संयुक्त कारोबार बधवा किसी अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी में भागीदारिता से प्राप्त नाभी पर भी नाग्र कोंगे।
- उनुच्छेद 2 के उपलंश के होते हुए भी इस अनुच्छेद के उपलंश जापान में उद्या कर पर भी नागु होने के साथ-साथ उस उद्धम कर से मिनते-अंते किसी कर पर भी उस स्थिति में नागु होंगे जहां कभी देशा कर भारत में लगाथा गया हो ।

अनु क्षंद १

i siel

र्क्षक क्षेत्रिदाकारी राज्य का कोई उधम दूसरे सीवदा≆ारी

राज्य के किसी उदम की प्रबंध रुप्तरहा, नियंत्रण बधवा पूजी के सिलसिने में प्रत्यक्षत: अथवा खप्तरक्षत: भाग

नेता है, अथवा

हेंगई वही क्यिक्त था सीवदाकारी राज्य के किसी उद्धम और दूसरे सीवदाकारी राज्य के किसी उद्धम की प्रवेष व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूजी के सिलसिले में प्रत्यक्षत: अथवा अपत्यक्षत: भाग लेते हैं ;

दोनों की अवस्थाओं में, दोनों उत्मों के बीव उनके वापिण्लिक अथवा वित्तीय संबंधों में पेसां शते रखी अथवा लगाई जाती हो, जो पेसी शतों से भिन्न हों जो ब्रव्सिन उत्मों के बीव रखी जाती हो, तो पेसा कोई भी लाभ जो उन शतों के नहीं होने की व्याग में दोन्धें उद्मों में से किसी एक उद्मा को प्राप्त हुआ होता परन्तु उन शतों के कारण वह इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ हो, उस उद्मा के आभों में सिम्मिन्तित किया जा सकेगा बोर तद्दातार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां पर एक सीवदाकारी राज्य उस सीवदाकारी राज्य के किसी उद्धम के नाभों में उन नाभों को सिम्मिनित करता है और तद्भुतार कर नगाता है- जिन पर दूसरे सीवदाकारी राज्य के किसी उद्धम पर उस दूसरे राज्य में कर नगाया गया है और जहां पर सिवदाकारी राज्यों के स्क्रम प्राधिकारी विवार-विमर्श करने के प्राचाय हस बात पर सद्भत होते है कि इस प्रकार स्माहित किए गए कुत नाभ कथा नाभों का कीई क्ष्रा ऐसे नाभ है जो प्रथमीरिनिधीत सीवदाकारी राज्य के उस उद्धम को उस रिश्वित में प्राप्त हो गए होते पदि दोनों उद्धमों के बीच बनाई गई होती तो वह दूसरा सीवदाकारी

राज्य उस तरह से सझ्मति प्राप्त जाभी पर, उन पर प्रभारित कर की मात्रा के अनुसार समुचित समायोजन करेगा । इस तरह का समा-योजन करने मे इस अभिसमय के अन्य उपकंक्षी पर यशोचित ध्यान रक्षा जायगा ।

अनुस्थेद 10

- किसी एक अधिवदाकारी राज्य की निवासी कम्पनी उसके द्वारा दूसरे सीविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अंदा किए गए अग्माश उस दूसरे सीविदाकारी राज्य में कराक्षेय क्षोंगे;
- 2. त्यापि, इस प्रकार के आभाश उस शीवदाकारी राज्य से भी कराहेय क्षोमे, जिसकी नाभाश बदा करने वाली कम्पनी उस सीवदाकारी राज्य के कानुनों के अनुसार वहर निवासी हे लेकिन यदि प्राप्तकर्ता आभाशों का दिलभौगी स्वामी हे,तो इस प्रकार के प्रभारित कर की रकम उक्त आभाशों की सकत रकम के 15 प्रतिस्तत से अध्क नहीं होगी।

इस पैराग्नाफ के उपक्षेध उस कम्पनीकेजनाभी से संबंधित कराधान को प्रभारित नहीं करेंगे, जिनमें से नाभाषाों का भृगतान किया जाता है।

उर इस अनुस्थेद में यशप्रथ्यक "नाभाभी" शब्द का अभिग्राय है-शेयरों अध्या जन्य अधिकारों से, भो अ्षण दावे नहीं हो, भो जाम में शामित आहे प्राप्त बाय, तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय फिस पर उसी प्रकार की कराशान ट्यवस्था लागू होती हे भो उस सीवेदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय के मान्तों में नागू होती है भिसमें वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

- 4. पैराग्राफ । और 2 के उपबंध उस रिश्वित में लागू नहीं होंगे यदि आमारों का वित्रोगी स्वामी, जो किसी यक सीवदा-कारी राज्य का निवासी है, इसरे सीवदाकारी राज्य में वहां रिश्व किसी रुग्य में संख्यापन के माध्यम से क्यापार करता है, जिल्की आमां अदा करने वाजी कम्यनी निवासी है, अध्या उस इसरे सीवदा-कारों राज्य में वहां रिश्व किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाय सम्यान करता है और जिल सम्यक्ति के संबंध में जामारों की अदायां की जाती है वे इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अध्या निश्चित स्थान से प्रभावी स्थ से सम्बद्ध है। ऐसे मामानों में, अनुस्थेद 7
- 5. जहां कोई कम्पनी, जो किसी सीवदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे सीवदाकारी राज्य हे नाथ अथवा बाय प्राप्त करती हे, ऐसे मामले में उस कम्पनी द्वारा बदा किए गए लाभाशों पर जहां तक ऐसे लाभाशों की खदा किए गए हो अथवा जहां तक दिसी राज्य के किसी निवासी को बदा किए गए हो अथवा जहां तक कि ऐसी सीवदान कारी राज्य के बारे में लाभाशों की बदायगी की गई हो, जो उस दूसरे सीवदान स्थान के प्रभावी राज्य में सिख्त किसी स्थायी संस्थापन बख्वा निश्चत स्थान से प्रभावी राज्य में सम्बद्ध है, उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के अवितरित लाभार पर अविवारित लाभार की किस्स का कोई कर लगाया जाएगा, अने ही बदा विद्याप पर लाभारी वथवा बीवतिरत लाभ पूर्णत: बख्वा ख्यां का स्थान होने वाले लाभ बख्वा आया उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में उत्यन्न होने वाले लाभ बख्वा आया के रस में ही हो ।

अनुस्केद ।।

किसी सीवदाकारी राज्य में उत्यन्न होने वाने तथा दूसरे झीवदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाने च्याच पर उस दूसरे झीवदाकारी राज्य में कर लोगा।

तथापि, इस प्रकार के क्याच पर सीवदावारी राज्य में भी और उस सीवदावारी राज्य के बाज़नों के अनुसार कर लगेगा, जिस राज्य में यह उद्भुत होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता क्याज का विह्तभौगी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभारित कर की राशि निम्नितियित से अधिक नहीं होगी :

- धुक्ध व्याज की सकत राक्षिका 10 प्रक्रित, यदि हितभोगी स्वामी केंक है;और
- १४१ सभी बन्य मामलों में ज्यान की स्कल राश्चिका 15 प्रतिकत्त राज्य में दूसरे सीवदाकारी राज्य की सरकार, उसके राजनी-कारी राज्य में दूसरे सीवदाकारी राज्य की सरकार, उसके राजनी-तिक उप-प्रभग कथा रशानीय प्राक्षित्तण, दूसरे सीवदाकारी राज्य के केन्द्रीय केंक अथवा उस सरकार के पूर्णत: स्वाभित्व वाली किसी विक्तीय संस्था द्वारा गाइंटीख्दा अथवा अप्रत्यक्ष स्था से विक्त प्रोक्ति क्षण दावों के संकार में उद्भत तथा उस्त दूसरे सीवदाकारी राज्य की सरकार, उसके राजनीतिक उप प्रभग कथवा स्थानीय प्राव्यक्त स्थान स्थान उस सरकार के पूर्वत: स्वाभित्व वाली किसी विक्त संस्था द्वारा अथवा उस्त दूसरे सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त क्यान को प्रमोतिकिकित सीवदाकारी राज्य में कर से बट प्राप्त कोगी।

 पैराग्राफ उ के प्रयोजनार्थ, "रेन्द्रीय केंक्र" तथा "सरकार के पूर्णत: स्वामिन्त्व वाली विस्तीय संस्था" पद का अभिग्राय ;

- क्षेत्र आपान के मामले में :
- ं}ें दिकेंक आपफ जापान,
- 8ाभें श्रे आपान का निर्मात-आयात केंक;
- ोों। शिमुद्रपारीय आर्थिक सहायोग निधिः;
- ≬ो८∦ जापान अन्तरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण, और
- १८१ ऐसी बऱ्य वित्तीय नेस्था, जिस्की पूर्जी का स्वामित्व पूर्णतथा आपान सरकार द्वारा खारित हो, जो दोनो सीवदाकारी राज्यों की सरकारों के बीव समय-समय पर सहमत हो;
- ृख्यं भारत के मामने में:
- हां है भारतीय रिजर्व केंक ;
- शांभें} भारत का नियाति-आयात केंक ;
- إنا भेगें धेसी अन्य दिस्तीय संस्था, जिसकी पूजी भारत सरकार द्वारा पूर्णत्या डारित हो तथा दोनों सीवेदाकारी राज्यों की सरकारों के बीव समय-

समय पर सहमत हो ।

इस अनुस्थेद मे यशप्रयुवत "क्यान" शब्द से अभिग्रेत है-प्रत्मेक प्रकार के शुव-दावों से प्राप्त बाय, बाहे वे बंधक द्वारा प्रतिश्वत होने या नहीं हो, और बाहे श्वन-दाता के नाभों में भागीदारी का कोई अधिकार रखते हो या नहीं रखते हो, और खास तौर पर, सरकारी प्रतिश्वतियों से प्राप्त बाय और होथ-पन्नों अथवा शुव-पन्नों से

प्राप्त बाय, जिसमें ऐसी प्रतिश्वतियों, बंधपत्रों अथवा ३,पपत्रों से हिकीधत प्रीमियम और प्रत्कार भी शामित है |

6. पेराग्राफ।,2 और उन्ने उपलंश उस रिश्वित में आगू नहीं होंगे पदि ज्यान का हित्यीगी खामी, जो किसी सिविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे सिविदाकारी राज्य में जिसमें ज्याज, प्रतिभत हुआ हो, वहा रिश्व किसी स्थायी सर्थापन ने माध्यम में कारोबार व जाता है अथवा उस दूसरे सिवदाकारी राज्य में वहार किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र केपिवतक सेवाप सम्पन्न करता है और जिस इण दावे ने नारे में ज्याज अथवा किया गया हो वह इस प्रकार ने स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रशादी स्थार के संबोधत हो । येसे मामने में अनुच्छेद 7 अथवा ।4 ने उपलंश यथारिथीत नागू होंगे।

7. किसी भीवदाकारी राज्य में ब्याज उस रिश्वति में उद्भूत हुआ समक्षा जाएगा, जब ब्याज करा करने वाला स्वयं वह सीवदा-कारी राज्य, उस भीवदाकारी राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रशाग कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । किन्तु जहां ब्याज अदा करने वाले क्यविस का, वाहे वह किसी सीवदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी सीवदाकारी राज्य से कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हे जिसके संबंध में वह अंग उद्देश्त हुआ हो, जिस पर व्याज की अदायानी की गई हो और इस प्रकार का व्याज पेसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान होरा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का व्याज उस सीवदाकारी राज्य में उद्देश्त हुआ माना जायगा, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हिस्सा है।

> 8 अंकी क्यान अदाकती तथा दितभौगी स्वामी के बीच अध्वा उन दोन्तों और किसी अन्य क्योंचित के बीच कोई जिले प्रकार का मिलेश होने के बारण अदा की गई क्यान की रक्म, उस भूणदाने को ध्यान में रखते हुए, जिसके निए उस क्यान की रक्म अदा की गई है, उस रक्म से बद्ध जाती है जिसके लिए क्स प्रकार के सलेशों के नहीं होने की रिश्वीत में अदाकर्ता और हिस्तभौगी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती वहां इस अनुकोद के उपलेश केवस औन्तम वर्षित राशि पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायानी है अत्तिरिवत भाग पर इस अभित्मसम्य के अन्य उपलेशों का सम्यक ध्यान रखते हुए प्रत्येक सीनेदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद ।2

एक सीवदाकारी राज्य भे उद्भत क्षेत्रे वाली और दूसरे सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की जाने वाली रायिक्टियों तथा स्क्रनीकी सेवाओं के लिए फीस के भ्रातान पर उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर लगाया जा स्क्रेगा।

2. तशिप, ऐसी रायिन्टवों तथा तकनीकी सेवाओं के लिए कीस पर उस सीवेदाकारी राज्य में भी, फिलमें वे उद्भूत होती है तथा उसी भीवेदाकारी राज्य के काइनों के अनुसार, कर लगाया जा समेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ती रायिन्टकों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए कीस का कित्मींगी स्वामी है तो इस प्रकार लगाय गय कर की राशि उसत रायिन्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकत राशि है 20 प्रतिसंत से अधिक नहीं होगी।

उ॰ इस अनुन्धेद में पशाप्रयुक्त "रायित्टया" शब्द से सारिश्रीत्सक, कता त्मक कथा वेजानिक कृतियों, जिसमें सनीसन, फिल्में तथा रेडियों अथवा द्राव्येन प्रसारण के निय फिल्में तथा टेपे भी शामिल है, कोई पेटेन्ट ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा माइल, ज्ञान गुप्त कार्युला अथवा प्रयोगाधिकार के लिए, कार्यी-राइट के लिए अथवा जेघोगिक, वाणिजियक अथवा वेजानिक उपकार अथवा बोद्योगिक, वाणिजियक अथवा वेजानिक उपकार अथवा वेज्ञानिक सम्भाव से स्वेशित जानकारी के लिए उसके प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिए प्राप्त किसी प्रकार की अथवा प्रयोगाधिकार के लिए प्राप्त किसी प्रकार की अथवार की अथव

4. इस अनुक्टेद में यथाप्रयुवत "स्कनीकी केवाओं के लिए फीस" पद से अभिष्रोत है, किसी प्रबंधकीय, सक्तीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के प्रतिस्म में अनुक्टेद 14 में उत्तिकीखत खततंत्र वैधीवस्क सेवाओं के लिए अदायिगयां करने जाने किसी व्यक्ति के किसी कर्मवारी को की जाने वाली अदायिगयों से भिन्न किसी व्यक्ति को तथा किसी व्यक्तिद को की गई किसी किसा की

5. पैराग्राफ । और 2 के उपबंध उस रिश्वित में लागू नहीं लोगे, यदि रायिन्ट्यों अध्वा तकनीकी सेवाओं के निष हिल्मीगी खामी, एक सीवदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे सीवदाकारी राज्य में, जिससे रायिन्ट्या अध्वा तकनीकी सेवाओं के निष फीस उद्भुत होती हो, वहां पर रिश्व किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अध्वा दसरे सीवदाकारी राज्य में वहां पर रिश्व किसी निश्वित स्थान से स्वतंत्र वैयवितक सेवाप निष्यन करता हो तथा जिस अधिकार, सम्भित्त अध्वा के के सेबंध में रायिन्ट्यों हो तथा जिस अधिकार, सम्भित्त अध्वा के के सेबंध में रायिन्ट्यों

अथवा तकनीकी सेवाजों के लिए पीस की अदायमी कीजाती है, उसका सोबंध प्रभावी तर से ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निरिचत स्थान से हो, ऐसे मामने में अनुस्थेद 7 अथवा अनुस्थेद 14 के उपर्वंध, नेता भी मामना हो, नाग्न होंगे।

6. राथिन्टवर्ण तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस एक मीविदाकारी राज्य से उस रिक्षीत से उद्भूत हुई मानी आपणी जब अदाकती त्वांच वह सीवदाकारी राज्य, उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई रखानीय प्राधिकरण हो अथवा उस सीवदाकारी राज्य का निवासी हो । तथापि, जहा रायिन्टयों अथवा तकनीकी सेवाओं वे लिए फीस के लिए फ्रातान करने वाले व्यक्षित का, बाहे वह किसी एक सीवदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं है, उस सीवदाकारी राज्य से कोई रखायी झंरकापन अथवा कोई निश्चित स्थान, जिसके मुकेश में रायिन्टयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है और ऐसी रायिन्टयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस वहन किया जाता है तो ऐसी रायिन्टयों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की स्थायी झंरकापन अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की तिए फ्रातान, उस सीवदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना आप्या, जिसमें स्थायी झंरवापन अथवा निश्चत स्थान हिश्त हुआ माना आप्या, जिसमें स्थायी झंरवापन अथवा निश्चत स्थान हिश्त है।

गः जहा अदावती और दित्मीगी स्वामी के बीव कथवा उन दोनमें और किसी अन्य क्यवित के बीव, क्लिक्ष प्रकार का संबंध होने के बारण रायिन्टयों अथवा सक्नीकी सेवाओं के लिए णीस की रक्स, रायिन्टयों अथवा सक्नीकी सेवाओं के लिए णीस की रक्स, रायिन्टयों अथवा सक्नीकी सेवाओं के लिए पीस के भ्रातान का उपयोग विकार अथवा सुवना को ध्यान में रखते हुए, उस रक्स से ब्दू जाती है जिस पर इस प्रकार का संबंध नहीं क्षेत्री खानों कदावतीं और

हिसमोगी स्वामी सहसत हो गए होते, वहां पर इस अनुस्तेद के उपबंध केवल अन्सिम विभिन्न रकम पर ही नाय होगे। ऐसे मामले में, अधिक अदा की गई रकम इस अभिसमय के अन्य उपवंधों पर यशो जित ध्यान देते हुए प्रत्येक सीवदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर योग्य होगी।

अमुन्छेद । उ

- किसी सींवदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुकेद 6 में उन्लिखित और दूसरे सींवदाकारी राज्य में न्थित अवत सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले अभिजामी पर उस दूसरे राज्य में कर अगाया जा सकेगा।
- 20 अवल सम्पत्ति से भिन्न किसी ऐसी सम्पत्ति के अन्तरप से
 प्राप्त ह्य अभिनाभी पर, जो दोनों सीवदाकारी राज्यों में से किसी
 एक सीवदाकारी राज्य के किसी स्थायी संस्थापन की ज्यापारिक
 सम्पत्ति के भाग के रूप में दूसरे सीवदाकारी राज्य में रिश्त है अथवा
 जो दोन्गों सीवदाकारी राज्यों में से किसी एक सीवदाकारी राज्य के
 किसी निवासी को स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निक्पादन के प्रयोजनार्थ
 दूसरे सीवदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निष्यत स्थान से संबंधित
 बचन सम्पत्ति से भिन्न कोई सम्पत्ति हो, जिसमें ऐसे किसी स्थापी
 संस्थापन कुंकते अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ अथवा ऐसे निर्धित स्थान
 के बन्तरण से प्राप्त होने वाने अभिनाय भी शामिन है, उस दूसरे
 राज्य में कर नगाया जा सकेगा।

- अब तक कि पैराग्राक 2 के उपबंध नाग्य नहीं हो, तब तक किसी कमानी, जो दूसरे मिविदाकारी राज्य की निवासी हो, के शेयरों के बन्तरण से एक मिविदाकारी राज्य के किसी निवासी हारा बर्जित अभिनाओं पर उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर नगाया जा सकेगा।
- 4: किसी झीविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा बन्तर-राष्ट्रीय यातायात में बनाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के बन्तरण से तथा ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के परिवासन से संखेषित अवल सम्मत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के बन्तरण से प्राप्त अभिनामों पर केवल उसी झीविदाकारी राज्य में ही कर लगाया आएगा।
- किसी सीवेदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा पैराग्राफा । से 4 तक में उत्तिविंत सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के अन्तरण से ग्राप्त अभिकाभो पर केवल उसी सीवेदाकारी राज्य में ही कर लोगा ।

अनु च्छेद 14

ार्थिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वस्थ वाने बन्य कार्यकारों हे पान आय सार्थिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वस्थ वाने बन्य कार्यकारों से प्राप्त आय स्व का उसी सीवदाकारी राज्य में कराध्य होगी, अब सक उसे अपने कार्य-कार्यों के निक्षादन के प्रयोजनार्थ हारों सीवदाकारी राज्य में पक निश्चित स्थान नियमित स्थ से उपनब्ध नहीं हो अथवा वह किसी कराध्य वर्ष अथवा 'पिछले क्वं' के दौरान कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अविष्य में नहीं रहा हो । यदि उसके पास उस इसरे सीवदाकारी राज्य में पक्ष निश्चित स्थान है अथवा उत्त क्विंप यान्वतिकारी राज्य में एक ऐसा निश्चित स्थान है अथवा उत्त क्विंप यान्वतिकारी किय वह रहिता है, तो वह आय उस इसरे सीवदाकारी राज्य में कराध्य होगी परन्त केवल उसने ही बाय कराक्ष्य होगी, ओ उन्त क्विंक अथवा उन्त क्विंप क्विंप अथवा उन्त क्विंप क्विंप के निरा के विरान उस इसरे सीवदाकारी राज्य में कराध्य के विरान उस हमें सीवदाकारी राज्य में उन्त क्विंप अथवा उन्त क्विंप क्विंप क्विंप क्विंप क्विंप क्विंप क्वां अविंप क्विंप क्विंप क्विंप क्विंप क्विंप क्वां अथवा उन्त क्वां अव्वां अव्वां अविंप क्विंप क्वां अथवा उन्त क्वां क्वां अथवा अव्वां अव्वां क्वां क्वां अथवा अस्वां अव्वां अव्वां अव्वां अव्वां अव्वां अव्वां अव्वां अव्वां अयवां क्वां क्

उद्भत क्षृष्टं मानी आती हे अथवा प्राप्त होती हे।

"व्यावसाधिक सेवाए" पद के अर्थ-विस्तार में विशेषतया
रवतित्र वेज्ञानिक, साहित्यक, कशात्मक, रेक्षीषक अथवा अध्यापन संबंधी
कार्यकरायों के साथ-साथ विविक्तकों, श्रीत्य-विविक्तकों, क्ष्मीनेयहाँ, वास्त्रविकों, दन्त-विविक्तकों और लेखापानों के स्वतंत्र कार्यक्रवाप
भी शामित है।

अनु च्छेद 15

ा॰ अनुकोद 16,18,19,20 और 21 के उपलेकों के अधीन रहते हैं पर विस्ती सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी हारा किसी निवोधन के संबंध में प्राप्त वेसन, मजदरी तथा इसी प्रकार के जन्य पारिश्रीमक पर केवल उस सीवदाकारी राज्य में कर आगया आया जा पणा जब तक कि नियोजन दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर आगया जाया हो । यदि इस प्रकार का नियोजन किया जाता है तो येसे पारिश्रीमक पर, जो वहां से प्राप्त होता है, उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. पैराग्राफ । के उपलेशों के होते हुए भी, किसी सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी हारा दूसरे सीवदाकारी राज्य में किया गय किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रीमक पर केवल प्रकारिकारीत राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

शृंकश्च प्राप्तकर्ता किसी करा क्षेय वर्ष बध्वा "पूर्ववर्ती वर्ष" क्षेसा भी मामना को, के दौरान कुल मिलाकर 183 दिन से अनिधक की अविधि बध्वा अविक्रिकों के लिए उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में क्षोप्तव रका को ;

{ख { पारिश्रमिक किसी पेसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से

अदा किया जाता हे, जो उस दूसरे अधिदाकारी राज्य का निवासी नहीं हे ; और

श्रेम प्रिंतिक किसी येसे स्थायी संस्थापन अध्या किसी निश्चित स्थान से वहन नहीं किया गया हो, जो नियोजक के द्रसरे सीविदाकारी राज्य मे है।

ऐराग्राक । बौर 2 के उपबंदों के होते हुए भी किसी सीव-दाकारी राज्य के किसी उदम दारा जन्तरराष्ट्रीय यालायात में किसी जलयान अथवा वायुधान पर सवार होकर उसके परिवालन में किए गए किसी नियोजन के सबसे में प्राप्त पारिष्ठिक पर कर केवल उसी भीववाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनु क्रिंद ।6

किसी सीध्वाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी कम्पनी के निवेशक मण्डन के एक सदस्य की है सिथत में, जो दूसरे सीवि-दाकारी राज्य का एक निवासी है, प्राप्त निवेशक की फीस और अन्य समस्य अदायिगयों पर उस दूसरे सीविदाकारी राज्य में कर

अनु च्छेद ।7

। अनुस्थेद । 4 और । 5 के उपसंक्षों के होते हुए भी, किसी स्थादित द्वारा, जो किसी झीविदाकारी राज्य का निवासी है, मनोरंक्तकर्ता के रूप में असे प्रियेटर, बनिषक, रेडियो अध्या द्वार्य्यान

कताकार, बीर किसी संगीतकार या किसी विश्वाङ्गी के इस में, दूसरे इसीवेदाकारी राज्य में इस प्रकार सम्मन्न किए गए अपने व्यक्तिशत कार्यकतापते से प्राप्त बाय पर उस दूसरे सीवेदाकारी राज्य में कर सग सकेगा।

तथापि, ऐसी बाय पर उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर से शूट प्राप्त होगी, यदि ऐसे कार्यक्रनाप किसी क्यांक्ट द्वारा, जो प्रकारिक सीवदाकारी राज्य का निवासी हे, दो सीवदा-कारी राज्यों की सरकारतें के बीच सांस्कृतिक जादान-प्रदान के निय स्वीकृत किसी क्लिंब कार्यक्रम के बनुसरण में किय जाते हैं।

अंहा किसी मनोरं अन्कर्ता अथवा किसी खिनाड़ी द्वारा अपनी उस तरह की हेसियत से किए गए उच्चीक्तात कार्यकराणों से उद्भूत आय स्वाय उस मनोरं अनकर्ता अथवा खिनाड़ी को प्रोद्भूत नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति को होती है, जो दूसरे सीवदाकारी राज्य का निवासी है, तो अनुच्छेद 7,14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस आय पर कर प्रथमोरिन्नियंत सीवदाकारी राज्य में नग समेगा।

तथापि, ऐसी अाय पर उस प्रथमोहिन सिवेदाकारी राज्य में कर से धट प्राप्त होगी, धिद ऐसे कार्यक्रनाथ दो सीवेदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के जिए स्वीकृत एक विकोष कार्यक्रम के अनुसरण में किए जाते हैं।

अनुक्थंद । 8

अनुच्छेद । १ के पेराग्राफ 2 के उपबंधते के अध्यक्षीन एक झी विदाकारी राज्य के किसी निवासी को विगत में नियोजन के प्रतिसन

> केल्थ में प्रदक्त मेशनों और इसी प्रकार के अन्य पारित्रमिकों पर कर केवल उस झीविदाकारी राज्य में लगेगा।

अनुःक्षेद्र । १

ाः श्रेक श्री किसी शीवदाकारी राज्य द्वारा अध्या उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अध्या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्तिट को उस भीवदाकारी राज्य अध्या उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अध्या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए सरकारी अदा स्थान के किन्छी कायों को सम्पन्न की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई केतन से भिन्न पारिश्रीमक पर कर उस सीवदाकारी राज्य में ही तग सकेगा।

शृष्धः तथापि, ऐसे पारिक्षमिक पर केवल दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर केवल उस रिश्नीत में लग स्क्रोंने, यदि सेवार्य उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में की जाती है और वह व्यक्तिर उस दूसरे सीवदाकारी राज्य का निवासी है, जो:

शिर्ध उस दूसरे सी-अदाकारी राज्य का राष्ट्रिक है; अध्या शिर्भे सेवाप्ने सम्यन्न करने के प्रयोजनाई केवल उस दूसरे सीवदा-कारी राज्य का निवासी नहीं बना।

निष अंतरान किया जाता है, अदा की गई किसी फेल पर उस सीवदाकारी राज्य में ही कर लग सकेगा।

शुक्ष तथापि, ऐसी फेल पर केवन उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर उस रिकात में नगेगा, यदि व्योष्टि उस दूसरे सीवदाकारी राज्य का निवासी सथा राष्ट्रिक है।

अनुस्थेद 15,16,17 और 18 के उपबंध किसी सांवदाकारी राज्यबध्धाउसके किसी रणनीरिक उप-प्रभाग अथवा किसी रणनीय प्राधिक कर्प द्वारा बनाय गय किसी कारोबार के संबंध में सम्पन्न की गई सेवाओं के लिय प्राप्त पारिश्रीमक और पेशनों पर नाम होंगे।

अनु च्छेद 20

किसी विदार्थी अथवा व्यावसाधिक प्रशिक्ष को, जो एक सीविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व दूसरे सीवदाकारी राज्य का निवासी हे अथवा था तथा जो प्रमोरिलिशित सीवदाकारी राज्य से केवल अपने असुरक्षण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनारी प्राप्त बदायिंगयो पर उस प्रमोरिलिशित सीवदाकारी राज्य के कर से खुट प्राप्त होगी, ब्लाते कि ऐसी बदायिंगयां उसे उस प्रमोरिलिशित

अनुस्थेद 21

ाः किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो किसी विश्वविद्या-लय, महा-विचालय, विधालय अथवा अन्य मान्यता प्राप्त हैक्ष्मीपेक संस्था में अध्यापन अथवा अनुसंकान के प्रयोजनार्थ दो वर्ष से अनिधिक की अविध के लिए किसी क्षीविदाकारी राज्य में अस्थायी रच से दौरा करता है,

> तथा जो इस तरह के दोरे के तत्कात पूर्व उस दूसरे सीवदाकारी राज्य का निवासी हे अथवा था, तो इस प्रकार के कथ्यापन अथवा क्नुसंधान के निष प्राप्त पारिश्रीयक के सकक्ष्य में केवन उस दूसरे सीवदाकारी राज्य में कर तथा सकेगा।

यह अनुन्धेद उस अनुसंशान कार्य से प्राप्त आय पर उस रिश्ति में लागू नहीं होगा, यदि पेसा अनुसंशान कार्य सार्वजनिक हिंत में नहीं किया जाता है किन्तु मुजत: वह कार्य किसी उपिष्ठ अथवा ज्यादियों - विशेष के निजी जाप के लिए किया जाता है।

क्नुच्छद 22

किसी सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदो पर, अशा कहीं वे उत्यन्न होती हो, हस अभिसमय के पूर्ववर्ती अवच्छेदों में जिन पर विवार नहीं किया गया हो, केवन उस सीवदा- कारी राज्य में कर लोगा।

2. पैराग्राफ । के उपलेख, अनु-छेद ६ के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अवत सम्पत्ति से प्राप्त होने वाजी आय से भिन्न आय पर उस रिश्वति में लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय को प्राप्त करने वाला, किसी सीवदाकारी राज्य का निजासी होने के नाते, दूसरे झीवदाकारी राज्य में रिश्त किसी स्थायी संस्थाप के माध्यम से उससीवदाकारी राज्य में क्यापार बन्दा है अथवा उस दूसरे झीवदाकारी राज्य में क्यापार बन्दा है अथवा उस दूसरे झिवदाकारी राज्य में क्या पर रिश्त किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र है वह अधिकार अथवा संपत्ति वैयदिक सेवार निक्षपन करता है और फिस अधिकार अथवा संपत्ति है प्राप्त होने वाली आय की अदायमी करता है, वह अधिकार अथवा

सम्पत्ति ऐसे स्थापी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी स्स से संबंधित है। ऐसे मामले में बनुच्छेद 7 अथवा । 4 के उपजंध, जेसा भी मामला हो, लाग्न क्यों।

पेराग्राक। और 2 के उपलंकों के होतेहर भी, सीवदाकारी राज्य के किसी निवासी की जाय की मदों पर, िक्स पर इस अभि-समय के प्रविवती कनु-छेदों, में विवार नहीं किया गया है, और जो दूसरे सीवदाकारी राज्य में उद्देशन होती है, इसरे सीवदाकारी राज्य में उद्देशन होती है, इसरे सीवदाकारी राज्य में उद्देशन होती है, इसरे सीवदाकारी राज्य में कर लगा।

अनु होद 23

ा दोनों अविदालारी राज्यों में प्रवृत्त कानून अनग-अनग अविदालारी राज्यों में आय के कराशन को नियंत्रित करते रहेंगे सिवाय उन मामलों के जर्ता पर इसके विपरीत स्पष्टट उपलेश इस अभिक्समय में दिय गए इतें।

 भारत के मामले में दो को कराक्षान का निकन प्रकार से परिकार किया आएगा :

कि क्षेत भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपकोशों के अनुसार आपान में कर नगाया आ सकता है, उस रिक्षित में भारत उस निवासी को उस आय पर कर से कटोती की अनुमति उत्ती रक्षम के बराबर देगा, जिस्सी रक्षम की अदायां आपान में आपान के कर के लिय की गई हो, बाहे वह प्रस्था स्म से दिया गया हो बथवा कटोती के द्वारा दिया गया हो । किन्तु

दोनों, मामओं में ऐसी कटोती की मात्रा बायकर हुकटोती दिय आने से पूर्व यथा संगणित हु के उत्ते भाग से अधिक नहीं होगी, भी यथा रिश्वित उस आय के बारण उत्यन्न हुई हो, जिस पर आपन में कर जगाया आ सकता है। इसमें अतिरिवत अहा ऐसा निवासी एक कम्पनी है, जिसमें माध्यम से भारत में अतिकर देय बनता हो, वहां आपान में बदा किय गय आयकर के संबंध में कटोती की उन्मति प्रकातया उस कम्पनी द्वारा भारत में देय बाय-कर में देगा और शेख रकम पर, यदि कोई हो, उसके द्वारा भारत में देय आतकर की उन्मति देगा।

हेखाँ जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपकेषों के अध्यक्षीन केवल आपान में कर लगाया जा सकता है, उस रिश्वित में भारत इस लाय को कर लाशार में शामिल करेगा लेकिन, आयकर में से आयकर के उत्ते भाग की कटोती, जेसा भी मामना हो, की जन्मति देगा जो जायान में उद्भूत हुई आय के कारण खनता हो।

अग्यानी कर को मद्देन-भर रखते हुए आग्यान से भिन्न किसी अन्य देश में देय कर पर क्रिक्टिट देस्स में क्षट के बारे में आग्यान के कान्ननों के अध्यक्षीन रहते हुए :

हुंक हुं जहां जापान का कोई निवासी भारत से आय प्राप्त करता है, जिस पर इस अफ़्सिमय के उपलेकों के अनुसार भारत में कर लगाथा जा सकता है, उस रिशीत में उस जाय के संबंध में देय भारतीय कर की राशिश उस निवासी पर लगाय गय

जापानी कर की मात्रा के अनुसार क्रेडिट के रूप में अनुमत्य होगी तथापि क्रेडिट की वह रक्स जापानी कर के उस भाग से अध्य नहीं होगी, जो उस आय के लिए समुचित हो ।

हुंखंह अंदा भारत से प्राप्त आय किसी कम्मनी हारा, ओ कि भारत की निवासी है, एक ऐसी कम्मनी को ओ जापान की निवासी है, और जिसमें पास नाभाग अदा करने वाली कम्पनी के वोटिंग शेयर के 25 के जिम्मन भाग का अध्वा उस कम्पनी हारा जारी किए गए कुन शेयरों का स्वामित्व है, बदा किया गया एक नाभाग हो, उस स्थिति में उस के डिट को अपनी बाय के संबंध में नाभाग अदा करने वाली कंपनी हारा देय भारतीय कर के दिशाय में निया जाएगा।

कुग्ध उमर उप-पेराग्राफो हुक, और कुछ मे उदिलाएंस क्रेडिट के प्रयोजनार्थ करदाता द्वारा उस रकम को अदा किया गया माना जायगा, जिल्की अदायगी भारत के कानून के अध्यक्षीन और इस अभिसमय के अनुसार भारतीय कर के रस में उस रिक्शीन में की गई होती, यदि अदा किय गय उस भारतीय कर को इस अभिसमय पर हस्तालर होने की तारीश को लाग्न तथा भारतीय कर को अध्या क्या भारत में आर्थिक विकास के लिय निर्मित किया गय विशिष्ट प्रोत्ताहन कार्य के उपायों के अनुसार घटाया नहीं गया हो अध्वा उनमें राहत नहीं दी गई हो, अध्वा जिन्हें मो अदा उपायों के संमोधन में अध्वा उनके अति-रिक्त उपायों में भारतीय कर कानूनों में अध्वा उनके अति-रिक्त उपायों में भारतीय कर कानूनों में अध्वा उनके अध्वा किया जा सकता हो व्याते कि उत्त उपायों के अध्वा निर्में के अध्वा की दिय गया कारी कि उत्त उपायों के अध्वा में को दिय गया कारी कि उत्त उपायों के अध्वा में तीनों

सरकारा के बीच कोई करार सम्यन्न किया गया हो।

जनुन्धेद २४

ाः एक भीवदाकारी राज्य के राहिद्कों पर दूसरे सीवदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अथवा सन्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा आग्ना नहीं की आपणी जो उस कराधान से और उन संबंधित क्योक्षाओं से पिन्न अथवा भारपूर्ण हो, जो दूसरे सीवदाकारी राज्य के राहिद्वारों पर समान परिस्थितियों में लाग्ना होती है अथवा हो सकती है। अनु छोद । के उपबंधों के होते हुए भी यह उपवंध ऐसे व्यक्तियों पर भी लाग्न होगा जो दोनों सीवदाकारी राज्यों में किसी एक सीवदाकारी राज्यों में किसी एक सीवदाकारी राज्यों के निवासी नहीं है।

2. एक सीवदाकारी राज्य के किसी उध्म के दूसने सीवदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायीसंस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस दूसने सीवदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षावृत कम अनुक्रल नहीं होगा, जो उस दूसने सीवदाकारी राज्य में स्मान कार्य-कलायों में को इए उध्मों पर लगाया जाता है।

इस उपलंध में निरित्त किसी भी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि एक मीनिदाकारी राज्य ऐसे क्यीचतय्में को, जो दूसरे मीनिदाकारी राज्य के निवासी है, नागरिक हेसियत अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्वा के कारण कराज्ञान के प्रयोजनों के निय किसी भी प्रकार की क्यीचतगत अटें, राखते और घटोतियाँ प्रदान करने को बाध्य होगा, जो वह अपने स्वयं के निवासियों को प्रदान

करता है।

- उभ् अनुक्षेत १ के उपलेख, अनुक्षेत ।। के पैराग्राफ 8 अथना अनुक्षेत ।2 के पेराग्राफ 7 के उपलेख असे नागू होते हैं उनकी अर्थकर पक असीवताकारी राज्य के किसी उद्धम धारा दूसरे सीवताकारी राज्य के किसी उद्धम धारा दूसरे सीवताकारी राज्य के किसी निवासी को ऐसे उद्धम के कराबेच नामों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ अदा किया गय क्याज, रायिंट्यों तथा अन्य भुगतानों को उन समान परिरिथातियों के नहत कटोती योग्य माना जायगा, यित उनकी अदायगी प्रमोरिअतियों सीवताकारी राज्य के किसी निवासी को नी गई हो।
- पक सीवियाकारी राज्य के उध्मों पर जिन्हीपूजी पूर्वतः अथवा आकातः दूसरे सीवियाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्तः अथवा अप्रत्यक्तः स्वामत्त्व अथवा नियंत्रण में है, पृथ्मो किशीक्षत सीवियाकारी राज्य में नोई ऐसा कराधान अथवा तत्सीबंधी कोई ऐसी अथेशा आगृ नहीं की जाएगी जो उस कराधान और मत्सीबंधी अथेशाओं से निम्न अथवा अधिक भारप्र्यं हो, जो उस पृथ्मो किशीक्त राज्य के जन्य इसी तरह के उध्मों पर आगृ होती है अथवा हो सकती है।

अनु छिद 25

अंधर कोई ज्यवित यह समझता है कि एक अध्वा दोनों सीचेदाकारी राज्यों के कार्यों के परिणामस्वस्य उस पर कर लगा है

अथवा नगाया आएगा, जो इस अभिसमय के उपबंदों ने अनुकुल नहीं है, तो वह उन सीवदाकारी राज्यों के होते नियमों द्वारा उपबंदित उपवारी उपायों के होते हुए भी अपना मामना उस सीवदाकारी राज्य के स्थम प्राधिकारी के स्मक्ष रख सकता है जिसका वह निवासी है अथवा यदि उसका मामना अनुकेद 24 के पेराग्राफ । के अन्तर्गत आता है, तो वह अपना मामना उस सीवदाकारी राज्य के स्थम प्राधिकारी को प्रस्तृत कर सकता है जिसका वह राष्ट्रिक है। यह मामना उस कार्य की प्रस्तृत कर सकता है जिसका वह राष्ट्रिक है। यह मामना उस कार्य की प्रस्तृत कर सकता है जिसका वहरा राष्ट्रिक है। यह मामना उस कार्य की प्रस्तृत कर अध्याना के तीन वहाँ के भीतर प्रस्तृत किया जाना वादिए जिसके कारण इस अभिसमय के उपवंदा के अनुस्य कर नहीं तमा है।

- 2. यदि सक्सम प्राधिकारी को बापित्त उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी सैतोष्ट्रनक हन पर पहुंचने में अस्मर्ग हो तो वह ऐसे कराइन के निवारण की दृष्टिट से, जो इस अभिसमय के उपलेशों के अनुरम नहीं है, दूसरे सीवदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। प्राप्त हुए किसी भी समझौते को किसी तरह की समय सीमा पर ध्यान न देते हुए सीवदाकारी राज्यों के घरेल कानूनों के तहत, कार्यान्वित किया आपगा।
- 3. इस अभिसमय की ट्यास्था करने अथवा को लागू करने में यदि कोई किटनाइथा अथवा क्षेत्राय उत्पन्न हो, तो सीवदाकारी राज्यों के सक्सम प्राधिकारी उन्हें पार स्थितिक सस्मिति से इन करने का प्रयास करोगे। वे उन मामलों में दो हरे कराशन के अथाकरण के लिय परस्पर विवार-विसर्श कर सकते हैं, जिनकी ट्यवरशा इस अभिसमय में नहीं की गई हैं।

4. शीवदाकारी राज्यों के सक्षम प्राविकारी इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती पैराग्राप्ता में क्यावत अभिष्ठाय को लेकर सहमति के प्रयोजनार्श यक दूसरे के साथ प्रत्यक्षतः पत्र-क्यवहार कर सकते हैं।

अनु मधेद 26

अतिवराकारी राज्यों के सक्स प्राधिकारी ऐसी सुना का वारान-प्रदान करेंगे जो इस विशेषस्य के उपलेखी के जन्मति आने वाले करों से होलांहत, जहां तक उसके अन्तर्गत कराषान इस अभिस्मय के उपलेखों के जन्मति आने वाले उपलेखों के प्रतिक्षत नहीं है, इस अभिस्मय के अध्वा सीवदाकारी राज्यों के प्रतिक्षत नहीं है, इस अभिस्मय के अध्वा सीवदाकारी राज्यों को रोकने के लिए आवा पढ़ है । इस तरह से आरान-प्रदान की गई किसी भी सुना को गोपनीय समझा जाप्या और इसे इस अभिस्मय में समाविकट करते के निव्धारण अध्वा उनकी वस्त्री अध्वा उनकी नाम करने अध्वा उनकी समाविकट करते के निव्धारण अध्वा उनकी वस्त्री अध्वा उनकी नाम करने अध्वा अपना अस्त्री का से बीधित अध्वा उनकी समाविकट के नाम कर में अध्वा अस्त्री का स्त्री की का से से अध्वा उनकी संखिदा अपना अध्वा भी शामित है, को ही प्रकट किया जाप्या। जिसमें भी रिस्थित में प्रामुगफ । के उपलेखों का यह अर्थ नहीं लगाया जाप्या, जिसमें कि विस्ती सीवदाकारी राज्य पर निम्नितिश्वत दायित्व डाला जाप :

इक्ष्र एक बयमा दूसरे सीविदाकारी राज्य की विधियों और प्रशासनिक प्रथा से बटकर प्रशासनिक उपाय करना ; श्रेष्यु ऐसी सुबना देना जो एक अथवा दूसरे सीवेदाकारी राज्य

> की विद्याले के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य रिक्षति में प्राप्तच्य नहीं है ; अथवा

१॥ १ सेती सुबना देना जिससे कोई उद्यापारिक, उद्यातसारिक, बोधोरीक, वाणिज्ञिक अथवा उद्यतसाय संबंधी गुप्त-भेद अथवा ज्यापारिक प्रक्रिया अववा सुबना प्रकट होती है, जिसको प्रकट करना सरकारी नीति के प्रतिक्कत हो ।

अनुन्धेद 27

अन्तराष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अध्या विक्रोल करारते के प्रावधानों के अन्तर्गत इस अभिक्समय के कारण राजनियक अभिकर्ताओं अध्या कौंचनी अधिकारियों के वित्तीय विक्रोलाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनु च्छंद 28

। इस अभिस्मय को यशासेभव श्रीष्ठ टोक्टियो पर अनुस्मर्शित किया आपगा और अनुस्मर्थन के दस्तावेक्कों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

यह अभिस्मय अनुस्मर्धन के दस्तात्रेओं के आदान-प्रदान की तारीख के परवातु 30 वे दिन को नाग्नं होगा और इसका निम्नानुसार प्रभाव होगा :

कृष जापान में :

िभत कैनेण्डर वर्ष में यह अभिग्रमय प्रवर्तित होता है उसके परवर्ती वर्ष के अनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कराध्य वर्ष के लिए प्राप्त आय के संबंध में : और

क्षस्थि भारत में :

जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय प्रवर्तित होता है उसके परवर्ती वर्ष के अप्रेल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके परवात् प्रात्में होने वाले किसी भी "पूर्ववर्ती वर्ष" के लिय प्राप्त आय के संबंध में।

3. अाय पर करों के संक्षेत्र में हो हो कराधान के निवारण के निवार करा का पत्ति का पान और भारत निवार करा होते हैं विक्ती में जापान और भारत के बीच हस्ताक्षीरित हुआ करार उस आय के संबंध में समाप्त होने के साध-साध निष्प्रभावी भी हो जायगा, जिसके बारे में यह अभिसमय पराग्नाण 2 के उपबंधों के अध्यक्षीन लाग्न होता है।

अनुन्धेद २१

यह अभिसमय अतिशिवत कास तक आग्न रहेगा सेकिन दोनों मिविदाकारी राज्यों में से कोई भी सीवदाकारी राज्य इसके बाग्न होने की तारीस से पढ़ने की अविध की समाप्ति के परवात आरंथ होने वाले किसी भी कैसेण्डर वर्ष के अन मास के 30वे दिन को अथवा उससे पहले राजनिक माध्यमों से इसरे सीवदाकारी राज्य को इसकी समाप्ति का

तिक्तितः सम मे नोटिस देसकेगा और ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निज्ञतिस्थित के लिए निष्प्रभावी हो आएगा :

क्षेत्रं आपानमे:

िभा केलेज्डर वर्ष में अभिक्समय की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके परवाद शुरू होने वाले किसी भी कराक्षेय वर्ष के लिए प्राप्त आप के संबंध में ; और

धुंख भारतमे:

जिस के सेण्डर वर्ष में अभिक्षमध की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के अधेन के प्रथम दिन को अथवा उसके परवातृ शहर कोने वाले किसी भी "पूर्ववर्ती वर्ष" के निय प्राप्त अराय के संमेश में।

िश्नके साक्ष्य में इसके लिए अपनी-अपनी सरकारते द्वारा विविध्वत प्राध्यित अद्योदस्ताक्षरकर्ताकों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किप हैं।

सन् एक रूजार नों सौ नवासी के

मार्च माह के सातवें दिन को नई हिल्ली

में जापानी, हिन्दी और कीजी मावाओं में दो-दो प्रतियों में

निष्यन्न किया गया, जिसके तीनों पाठ समानत: प्रामाणिक

है। अधैनिरूपण में दिसी प्रकार की भिन्नता के मामले में

GL.
कीजी पाठ ही प्रभावी
된
7
-9
i
o
>>>
49
- #1
a
₽
~1
े होगर
크
-
_

Eijiro Noda

मारत गणराच्य की सरकार की बोर से

G.N. Gupta

(参考)

この条約は、我が国とインドとの間で所得に対する租税の関する二重課税の回避及び脱税の防止

インドとの租税(所得)条約